खण्ड-265, अंक-10
मंगलवार, 8 चैत्र, शक संवत् 1888
(29 मार्च, 1966 ई0)

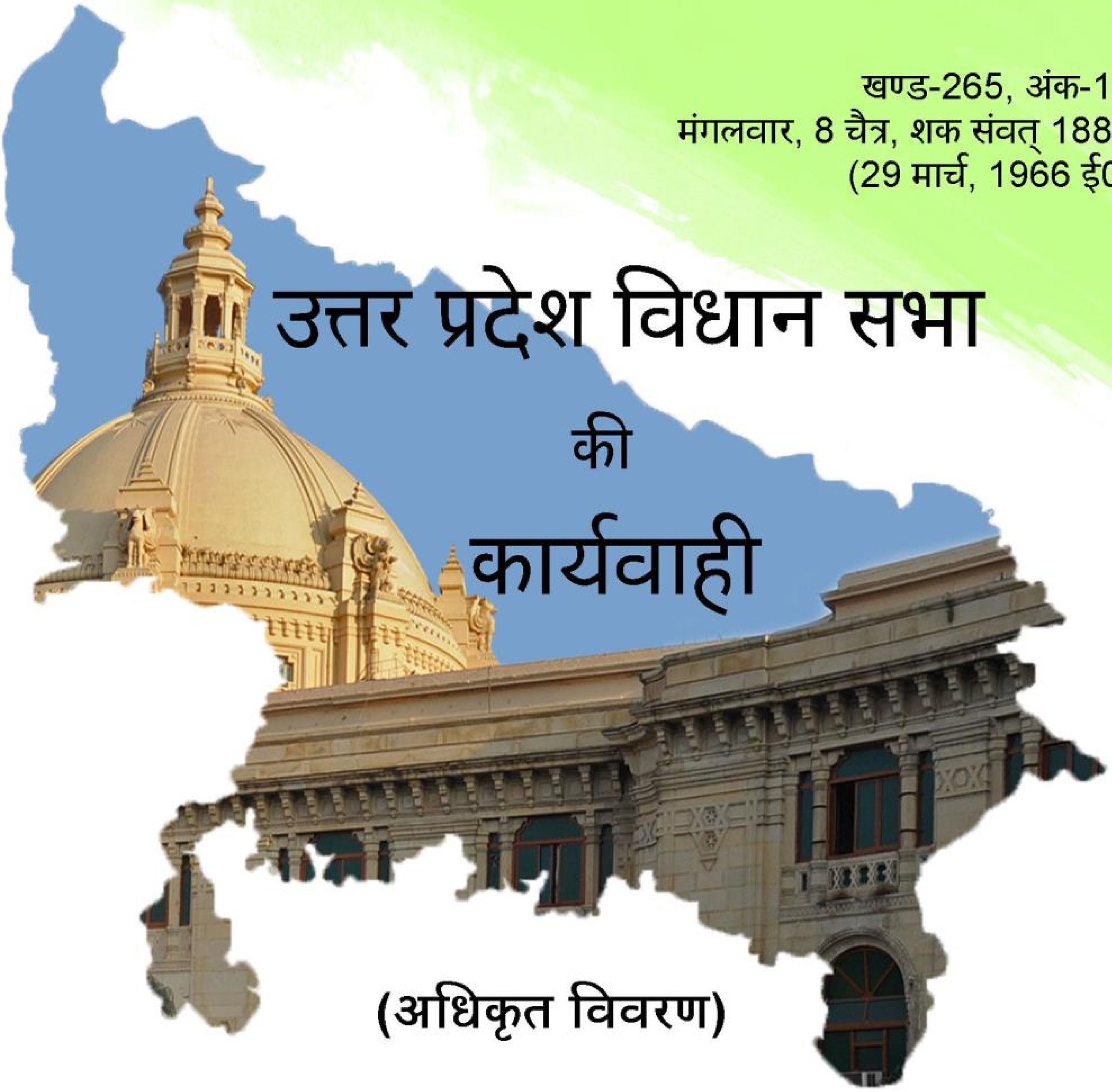

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 265 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

LEGISLATURE LIBRARY
UTTAR PRADESH

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २९ मार्च, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६५

अक्षयवर सिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल बशीर खां, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्या प्रसाद, श्री
अवध नारायण प्रतापसिंह, श्री
अवधेश कुमार सिनहा, श्री
अवधेश प्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्द सिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वर शरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फत सिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलावती मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याण राय, श्री
काशीनाथ बहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
कुमार करुण कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपाल सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदार नाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरी प्रसाद पांडेय, श्री
केशव राम, श्री
कोतवाल सिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद वर्मा, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री

गिरजा प्रसाद, श्री
गिरधारी लाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारी लाल, श्री (वाराणसी)
गिरवर प्रसाद, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली सिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथराव, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसराम सिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगल किशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वाला प्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगर सिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दशरथ प्रसाद, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायण सिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्तमिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्र सिंह, श्री
देशराज सिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारका प्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्र नारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्द कुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खांन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नौनिहाल सिंह चौधरी, श्री
नौरंग लाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथ सरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितई राम, श्री
पीतम सिंह प्रधान, श्री

पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलवान सिंह, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बसन्त सिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रताप सिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिन बिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषण शरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथ सिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवान दीन, श्री
भगौती दीन, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगलसिंह, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलाप्रसाद आर्य, श्री
मतोला सिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुकन्दी लाल बैरिस्टर, श्री
मुकुट बिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहन लाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्र दत्त, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खड़ूड़ी, श्री
रक्षपाल सिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय कैथवार, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम, श्री

राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीन सिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्र सिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूप सिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुम सिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुर सिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपाल सिंह, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रम शाह, राजा
विजयकुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावतीराठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री
विष्णुप्रताप सिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषण सिंह, श्री
शान्ति चन्द्र शुक्ल, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
शीतला प्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्री राम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यानारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदार सिंह, श्री
सहदेव सिंह, श्री

सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खन लाल, श्री
सुखदेव प्रसाद, श्री
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशील रोहतगी, श्रीमती
सूरजपाल सिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैन राम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २९ मार्च, १९६६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राज्य सम्पत्ति विभाग का ज्ञापन अंग्रेजी में होने पर आपत्ति

**१—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

क्या यह सच है कि राज्य सम्पत्ति विभाग से कार्यालय ज्ञापन संख्या आर०-१९४५/आर० एस० बी०-१९६६, दिनांक १६ मार्च, १९६६ सचिवालय में अवर वर्ग के कमचारियों को मकानों का आवंटन के लिये अंग्रेजी भाषा में निकाला गया है ? यदि हां, तो उसे राष्ट्र भाषा हिन्दी में न निकलवा कर अंग्रेजी में निकालने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

राज्य सम्पत्ति विभाग से ऐसा कोई कार्यालय ज्ञापन नहीं जारी हुआ, जिसकी संख्या आर० १९४५/आर० एस० बी०-१९६६ हो ।

प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे लिखने में, टाइप में या छपने में कुछ गलती हो गयी है । प्रश्न में दिये ज्ञापन संख्या १९४५ के स्थान पर संख्या १०४५ होना चाहिये । तो क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि यह ज्ञापन संख्या आर०-१०४५ जो वितरित हुआ है वह अंग्रेजी में है या नहीं ? यदि वह अंग्रेजी में है, तो क्यों ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जी हां, १०४५ है, १९४५ नहीं था । अब बात यह है कि अध्यक्ष महोदय, आपको और माननीय सदस्य को भी मालूम है कि हमारा सारा कार्य हिन्दी में नहीं होता, लेकिन संपत्ति विभाग बराबर इस बात के प्रयास में लगा है कि अधिक से अधिक काम हिन्दी में हो और आदरणीय सदस्यों से जो पत्र व्यवहार किया जाता है वह हिन्दी में ही करने की कोशिश की जाती है ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतालयेंगे कि यह ज्ञापन जिन अधिकारियों में आवास बंटन के लिये निकाला गया है उनमें से अधिकतर हिन्दी ही जानने वाले हैं ?

श्री अध्यक्ष—

किस श्रेणी के कर्मचारियों के लिये यह जारी किया गया था ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

यह अवर वर्ग के लिये है।

कुंवर श्रीपालसिंह—

मैं केवल यह आश्वासन चाहता हूं कि सरकार स्पष्ट शब्दों में बतलाये कि सरकार हिन्दी को प्रतिष्ठित करना चाहती है या नहीं ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

संपत्ति विभाग बराबर प्रयास तो कर ही रहा है . . . . .

श्री अध्यक्ष—

माननीय राजस्व मंत्री जी, यह जबानी प्रयास हो रहा है या व्यावहारिक । यह निवेदन करना चाहता हूं स्पष्ट रूप से कि सरकार को और अधिक जागरुक होना चाहिये इस संबंध में।

प्रशासन विभाग का ज्ञापन 'अंग्रेजी' में होने पर आपत्ति

**२.—कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश, के कार्यालय ज्ञापन बी–१८८०–२०–ए—३६–१९६४–६६, दिनांक २८ फरवरी, १९६६, सचिवालय के सभा विभाग, उप मंत्रियों एवं सभा सचिव और मंत्रियों के वैयक्तिक सहायकों को प्रसारित किया है जो राष्ट्रभाषा हिन्दी में न होकर अंग्रेजी में छापा गया है ? यदि हां, तो क्यों ? और किसकी आज्ञा से ?

विद्युत् उप मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

कथित कार्यालय ज्ञापन का विषय ऐसे मामले से संबंधित है जो महालेखाकार के सामने आडिट में आ सकता है। ऐसे मामलों में अंग्रेजी का प्रयोग, शासनादेश संख्या ४८४/२१–३–१९६५, दिनांक २७ जनवरी, १९६५ के अन्तर्गत किया जा सकता है।

कुंवर श्रीपालसिंह—

माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उसमें सबसे पहली चीज यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह अनिश्चित बात उन्होंने कही है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि "महालेखाकार के सामने आडिट में आ सकता है।" "आ सकता है" शब्द अनचित है। इसके माने यह हैं कि "हो भी सकता है नहीं हो सकता है।" तो पहली चीज यह है कि इस किस्म के शब्द प्रयोग किये गये हैं, ताकि अंग्रेजी में जो निकाले हैं उससे बच जायं। तो मैं जानना चाहता हूं कि यह जो ज्ञापन बटा है यह सेक्रेटरियट के जितने मंत्री, उप मंत्री के पी० ए० लोग हैं उनके पास गया है। उनके लिये तो हिन्दी में बंट सकता था और लेखाकार के लिये अगर ऐसा आवश्यकता थी तो अंग्रेजी में एक प्रति छाप कर भेज दी जाती, ऐसा क्यों नहीं किया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

बचने का तो सवाल नहीं। मैं समझता हूं कि वह अंग्रेजी में होना उनके लिये आवश्यक है, लेकिन इसको हिन्दी में भी हो जाना चाहिये। आधे हिन्दी में, आधे अंग्रेजी में होने चाहिये।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला वाराणसी)--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आज के इस अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के प्रश्न के अतिरिक्त इसके पहले भी एक बार इस असेम्बली में ऐसा हो चुका है और अध्यक्ष पीठ से भी उस संबंध में आदेश दिये जा चुके हैं ? तो अंग्रेजी का प्रयोग समय समय पर विभिन्न विभागों में चल रहा है। क्या उसका कारण यह भी है कि कुछ अधिकारी हिन्दी जानते ही नहीं, इसलिये वह अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा--

नहीं, हिन्दी तो जानना आवश्यक है। यहां तो चंकि अंग्रेजी में करने की आवश्यकता थी इसलिये किया गया। अब हम यह करेंगे कि हिन्दी में भी करेंगे।

श्री अध्यक्ष--

मेरा सुझाव यह है कि "हिन्दी में भी करेंगे" ठीक नहीं है बल्कि "हिन्दी में करेंगे--उसके साथ अंग्रेजी में कर सकते हैं" यह तरीका हो तो ज्यादा अच्छा हो। यह उलटा तरीका है कि" अंग्रेजी में करेंगे और उसके साथ साथ हिन्दी में भी करेंगे--यह गलत है। "हिन्दी में करेंगे, आवश्यकता होने पर अंग्रेजी में भी कर सकते हैं"। सही तरीका है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिजा आजमगढ़)--

आप तो यह रूलिंग कई बार इस सदन में कर चुके हैं और कई बार कहने के बावजूद सरकार उस पर अमल नहीं करती है, तो आप को स्पष्ट निश्चित कर देना चाहिये अगर उत्तर प्रदेश विधान सभा में इस प्रकार की कोई चिट्ठी, पत्र या जी० ओ० आयेगा तो हम उसको खारिज करेंगे।

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास कोई नहीं आयेगा।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वह इस तथ्य से अवगत हैं कि प्रायः उभी मंत्री, उप मंत्रियों के पी० ए० तथा स्वंय भी अंग्रेजी में ही अपनी टिप्पणियां लिखते हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

सबके बारे में में कुछ नहीं कहता, मै तो हिन्दी में ही लिखता हूं।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल--

मेरा प्रश्न स्पष्ट यह है कि.....

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने स्वीकार किया कि मैं तो हिन्दी में ही लिखता हूं।

श्री रघुनाथसिंह--

व्यवस्था का प्रश्न है। इसके पहले भी इस तरह की चर्चा पर आप अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर चुके हैं और एक प्रकार से आदेश भी दे चुके हैं और आज भी एक तरह से आदेश ही है सरकार को कि हिन्दी में लिखे और आवश्यक हो तो अंग्रेजी में तर्जुमा करें। तो मैं व्यवस्था चाहता हूं कि सरकार के अन्य विभागों के लिये ऐसा निर्देश आपने दिया है, क्या आप अपने सचिवालय के कर्मचारियों को इसका पालन नहीं कराना चाहते ? आपके विधान मंडल के सचिव गुप्त जी का आज भी २१ तारीख का एक निकला है जो अंग्रेजी में है और उसका अनुवाद हिन्दी में भी है। "यह लिखा हुआ है कि कापी विद ए हिन्दी कापी फारवार्डेड टु सच एंड सच।" तो आप आदेश दें कि आपके सचिवालय में भी यह कार्य होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

हमारे सचिवालय को निश्चित यह आदेश है।

श्री रघुनाथ सिंह—

अध्यक्ष महोदय, कहिये तो मैं आपके पास भेज दूं?

श्री अध्यक्ष—

नहीं। आवश्यकता नहीं है। जो अब नया कानून सेंटर में बना है उसमें भी यह है कि प्रमुख भाषा हिन्दी होगी और सह भाषा अंग्रेजी होगी। पहले यह था कि प्रमुख भाषा अंग्रेजी थी, सह भाषा हिन्दी थी। इसलिये हमें हिन्दी का ही आदर करना चाहिये।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८, के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

यमुना स्कीम के अन्तर्गत दाऊखेड़ा भाटियर में अध्याप्त भूमि

*१—श्री गुलाबसिंह (जिला देहरादून) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला देहरादून में जमुना स्कीम के अन्तर्गत दाऊ खेड़ा भाटियार में जो जमीन एक्वायर की गई है उसका मुआवजा काश्तकारों को न मिलने के कारण उस पर विभाग को कब्जा नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण स्कीम के कार्य में बाधा पड़ रही है? यदि यह सही है, तो कब तक काश्तकारों को मुआवजा दे दिया जायेगा ताकि जमीन पर कब्जा मिल जावे?

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—

जी नहीं। अविलम्बनीय आवश्यकता के कारण यह भूमि लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट की धारा १७ के अन्तर्गत अर्जित की गई थी जिसके अनुसार एवार्ड घोषित किये बिना ही भूमि पर कब्जा २७-९-६५ को विभाग को मिल गया था।

*२-३—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

[माननीय सदस्य ने वापस ले लिये।]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८, के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

स्याना क्षेत्र में नलकूप लगाने की प्रार्थना

*१—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम योजना झांया (विधान सभा क्षेत्र स्याना, जिला बुलन्दशहर) के किसानों के अनेक प्रार्थना-पत्र उक्त गांव में नलकूप लगाने के लिये अधिशासी अभियंता, नलकूप डिवीजन, बुलन्दशहर, को सन् १९६५ में बार बार मिले हैं यदि हां? तो नलकूप लगाने के लिये उक्त क्षेत्र में कब सर्वेक्षण कराया गया?

*२—क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र स्याना, जिला बुलन्दशहर, के ग्राम मूंड़ी बकापुर में जहां १,५०० एकड़ भूमि खाली है सरकारी ट्यूबवेल लगाने के एक प्रस्ताव को मुख्य अभियंता सिंचाई ने सन् १९६५ में केवल इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया कि वहां ट्यूबवेल के निर्माण पर साधारण लागत से दस हजार रुपये अधिक लागत का अनुमान है?

*३—क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि नलकूप डिवीजन, बुलन्दशहर, ने सन् १९६४ में मुख्य अभियंता से यह अनुरोध किया था कि ग्राम मूंडी बकापुर (स्याना, बुलन्दशहर) में नलकूप बनाया जाय ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

सूचना अभी एकत्र नहीं हो पाई है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वे कौन से कारण हैं जिसके कारण सूचना अभी तक नहीं आ पायी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जो सूचना आयी थी उससे मैं अपने आप संतुष्ट नहीं था, वह अधूरी थी। मैंने दोबारा विस्तृत सूचना मंगायी है क्योंकि आप कई सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछते हैं। उसके लिये पूरी सूचना का होना आवश्यक है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या यह सही है कि माननीय मंत्री जी के पास जो सूचना आयी थी वह गलत थी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मैंने कहा कि हमने विस्तृत सूचना मंगायी है और उसकी जांच भी कर रहे हैं।

राज्य विद्युत् परिषद् में हरिजन

*४—श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद ने ऐसा कोई प्रस्ताव पारित कर रखा है जिससे हरिजनों को वहां की सेवाओं में १८ प्रतिशत संरक्षण प्रदान नहीं किया जायेगा ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जी नहीं।

*५—श्री रघुवीरराम—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत परिषद के आडिट आफिस में अब तक १८ प्रतिशत संरक्षण के हिसाब से आडिटर और एकाउन्टेंट के स्थान पर कितने हरिजन लिये गये ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

९ आडिटर तथा २ एकाउन्टेंट लिये गये हैं।

*६—श्री रघुवीरराम—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत परिषद में अब तक १८ प्रतिशत संरक्षण के हिसाब से उत्तर प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थान पर कितने हरिजन लिये गये हैं ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के स्थान पर ८७९ हरिजन लिये गये हैं। इनका अनुपात १७.७७ प्रतिशत निकलता है।

श्री रघुवीरराम---

क्या सरकार बतायेगी कि विद्युत् परिषद् में कितने आडीटर्स अकाउन्टेंट हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

आडीटर्स १०९ हैं, अकाउन्टेंट ५० हैं।

श्री रघुवीरराम---

सरकार ने जो १८ परसेंट का रिजर्वेशन हरिजनों के लिये रखा है उसके हिसाब से इन आडीटर्स तथा अकाउन्टेंट्स की जगहों पर हरिजनों को क्यों नहीं रखा गया है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

क्यों का प्रश्न नहीं है। इसके लिये अब हमने आदेश दे दिये हैं कि १८ प्रतिशत के इस नियम का पालन किया जाय।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

क्या सरकार इस प्रकार के आदेश देगी कि भविष्य में सभी नौकरियों में जब तक १८ प्रतिशत हरिजनों का कोटा पूरा न हो जाये दूसरे लोगों को न रखा जाय ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

मैंने तो अभी बताया कि विद्युत परिषद के लिये हमने आदेश दे दिया है कि इसका पालन हो।

श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)---

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह कहा था कि हम २५ फीसदी हरिजनों को लेंगे जब तक यह १८ फीसदी का कोटा पूरा न हो जाय। तो इन महीनों में यह परिस्थिति क्यों पैदा हो गयी जिसके कारण यह १८ प्रतिशत का कोटा भी पूरा नहीं हुआ ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

आप गलतफहमी में हैं। राज्य विद्युत परिषद एक अलग संस्था है। उन्होंने अपने यहां अपने ही नियम बनाये थे पर सरकार को यह अधिकार था कि वह जो डाइरेक्टिव देना चाहे वह दे दे। सरकार ने अब डाइरेक्टिव दे दिया है कि वे १८ प्रतिशत रक्खें।

श्री कन्हैयालाल---

मान्यवर, राज्य विद्युत परिषद् को वही नीतियां प्रतिपादित करनी चाहियें जो राज्य की हों। क्या मंत्री जी ऐसा विचार करेंगे कि राज्य विद्युत परिषद को दोबारा रिकांस्टीट्यूट करके उसमें आफिशियल सदस्य मनोनीत करें ?

श्री अध्यक्ष---

अगर वे आदेश का पालन नहीं करेंगे तो प्रश्न उठेगा।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---

श्रीमन्, आये दिन यह सवाल आता है कि आदेश दे दिये गये हैं। परन्तु आदेश देने के बाद उसका पालन नहीं होता, इसका क्या कारण है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

आदेश अभी दिये हैं। क्या उनका पालन आदेश देने से पहिले हो जायेगा ?

श्री रघुनाथ सिंह—

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि यह जानते हुए कि हरिजनों के लिये संविधान में इस तरह की मांग की गई है कि विभिन्न नौकरियों में उनकी जगहों को सुरक्षित रक्खा जाय, जब संविधान में इस तरह का उपबन्ध हैं और आप आज्ञायें भी जारी किये हुए हैं तो कोई भी विभाग हो वह संविधान के उक्त उपबन्ध के अन्तर्गत आ जाता है, तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि इस तरह का आदेश पालन न होने पर उन विभागों के कर्मचारियों के खिलाफ जो नियुक्तियां करते हैं सख्त कार्यवाही की जा सके ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

डा० साहब अगर संविधान को पढ़ लें तो यह सवाल नहीं करेंगे। संविधान हर जगह थोड़े ही लागू हुआ करता है।

श्री ऊदल—

मान्यवर, मंत्री जी प्रश्न को ठीक से समझ नहीं रहे हैं। पिछली बार आपको भी याद होगा कि यह सवाल उठा था कि राजाज्ञा जारी की गई थी कि जो नियुक्तियां हैं उसमें १८ प्रतिशत रिजर्वेशन पूरा नहीं होता तो नई नियुक्तियां हरिजन उम्मीदवारों को लेकर की जायं ताकि अठारह परसेंट पूरा हो जाव। तो मैं वह जानना चाहता हूं कि जब वह सरकार की आज्ञा है...

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न वह है कि फर्ज कीजिये कोई निजी मिल है। तो क्या सरकार किसी असरकारी संस्थायें या प्रतिष्ठानों को भी कोई ऐसे आदेश जारी कर सकती है या नहीं। उनका कहना यह है कि असरकारी संस्थाओं के संबंध में ऐसे आदेश जारी नहीं किये जा सकते या लागू नहीं किये जा सकते। यह होते हुए भी उन्होंने इस प्रतिष्ठान को वह आदेश दिया है या उनकी सूचना में लाये हैं कि ऐसी व्यवस्था की जाय। वह समझ कर प्रश्न करिये।

श्री ऊदल—

माननीय मंत्री जी का कहना ठीक नहीं है क्योंकि स्वायत्त शासन विभागों में जिला परिषदों में या नगरपालिकाओं में, जो अर्द्ध सरकारी संस्थायें हैं, सरकार के आदेश गये हैं। मैंने ऐसा देखा है। मास्टरों की नियुक्तियों के संबंध में जिला परिषदों में गये हैं। तो क्या इसकी जानकारी माननीय मंत्री को है ?

श्री गिरधारीलाल—

जहां तक स्वायत्त संस्थाओं की बात है, उसमें गवर्नमेन्ट ने लोकल बाडीज से इस बात की सिफारिश की है कि वे ऐसा करें। जहां तक विद्युत परिषद की बात है, उनमें अब आदेश दिये गये हैं कि जिस तरह से सरकार करती चली आ रही है वे भी इस बात का ध्यान रखें और उसी तरीके से हरिजनों की नियुक्तियां करें।

श्री रामसुन्दर पान्डेय—

अध्यक्ष जी, जो कम से कम उस जाति के मंत्री हैं उन पर तो आप कड़ाई कीजिये कि इसकी पाबन्दी करें।

आजमगढ़ जिले में गांव ऊंचे किये जाना

*७—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपा करके यह बतायेंगे कि सन् १९६३, १९६४ तथा १९६५ में आजमगढ़ जिले के किन-किन ग्रामों की सतह बाढ़ से बचाने के लिये ऊंचा की गई है ?

*८--क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन ग्रामों को ऊंचा किया गया है उनमें कुओं की जगतें, ईंटें और सीमेंट से ऊंची की गईं या और किसी तरह ?

श्री गिरधारीलाल--

सूचना अभी तक एकत्रित नहीं हो पाई है ।

पटियाली विकास खण्ड में बहोटा नाले पर पुल की आवश्यकता

*९--श्री राजेन्द्र सिंह (जिला एटा)--

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि ग्राम रहटा यूसुफनगर, विकास खण्ड पटियाली, जिला एटा, की आबादी के बीच में से हो कर बिभाग का बहोटा नाला गुजरता है जिस पर पुल न होने के कारण ग्रामीणों को बहुत तकलीफ होती है तथा प्रति वर्ष २-४ बच्चे डूब कर मर जाते हैं ? यदि हां, तो क्या अविलम्ब उस पर पुल बनवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

सूचना अभी एकत्र नहीं हो पाई है ।

श्री राजेन्द्रसिंह--

अभी तक सूचना एकत्रित क्यों नहीं हो पाई है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

हमने अपने विभाग से और डी० एम० से सूचना मंगाई थी । विभाग से तो आ गई लेकिन डी० एम० की सूचना में बच्चे डूबने का जिक्र नहीं था । इसलिये फिर मंगाई है । पूरी सूचना होने पर ही उत्तर दिया जा सकता है ।

श्री राजेन्द्रसिंह--

डी० एम० से जो सूचना आई है क्या उसमें इस नाले का पुल बनाने की संस्तुति की गई है ?

श्री अध्यक्ष--

अगर आप इस प्रश्न को फिर न रखना चाहें तो पूछ सकते हैं, वरना मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि अब की बार पूरी सूचना अवश्य आ जावे ।

श्री राजेन्द्रसिंह--

ठीक है ।

सीतापुर जिले में नलकूप संख्या ५ से सिंचाई

*१०--श्री बिपिन बिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सीतापुर के अन्तर्गत नलकूप सं० ५ (सीतापुर ग्रुप) के लिये सिंचाई हेतु भूमि का कितना क्षेत्रफल निर्धारित है तथा वर्ष १९६४-६५ में कितने क्षेत्रफल की सिंचाई हुई ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

सिंचाई के लिये निर्धारित भूमि २६७ एकड़ प्रति वर्ष है तथा वर्ष १९६४-६५ में इस कूप से ९५ एकड़ सिंचाई हुई है ।

*११--श्री बिपिन बिहारी तिवारी--

क्या यह सही है कि इस नलकूप से उत्तर की ओर निकली हुई पक्की गूल पर जितना भी क्षेत्रफल सिंचाई के लिये निर्धारित है उसमें से आज तक एक एकड़ भूमि की भी सिंचाई न हो सकी ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

प्रथम भाग—जी नहीं।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

*१२—श्री बिपिन बिहारी तिवारी—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, १९६५, के अन्तिम सप्ताह में इस गूल के एकाएक टूट जाने की सूचना मंत्री जी को प्रश्न कर्त्ता ने तार द्वारा दी तथा संकेत किया कि उपरोक्त गूल से संबंधित ३०० एकड़ भूमि की फसल सूख रही है तो उक्त भूमि की सिंचाई हेतु क्या व्यवस्था की गई ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

उत्तरी गूल की दुरुस्ती करा दी गई थी।

श्री बिपिन बिहारी तिवारी—

२६७ एकड़ सिंचाई न होकर ९५ एकड़ ही क्यों हुई ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह तो जो पानी लेते हैं उनके ऊपर निर्भर है।

श्री बिपिन बिहारी तिवारी—

प्रश्न संख्या ११ में मैंने स्पष्ट पूछा था कि उत्तर की गूल से कोई सिंचाई हुई या नहीं।

श्री अध्यक्ष—

इसके माने यह हैं कि वह आपके कथन को स्वीकार नहीं करते हैं।

श्री बिपिन बिहारी तिवारी—

क्या मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर-पूरब गूल से कितनी सिंचाई हुई ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सूचना की आवश्यकता है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

यह देखते हुए कि तमाम जिलों से शिकायत है कि नलकपों से निर्धारित सिंचाई से कम सिंचाई होती है, मंत्रीजी एक हाई पावर कमेटी से इन्क्वायरी करावेंगे कि किन नलकूपों में कम सिंचाई होती है और उसे पूरी करावेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

कमेटी की आवश्यकता नहीं है। अलग डाइरेक्टोरेट बना दिया है और हमारी रिपोर्ट है कि इस साल अधिक सिंचाई हुई है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

तो क्या सरकार कमान्ड एरिया कम करने पर विचार करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इस साल सिंचाई पहले वर्षों से दुगुनी और तिगुनी हुई है, जिससे यह जाहिर होता है कि ज्यादा सिंचाई हो सकती है।

श्री बिपिन बिहारी तिवारी--

क्या मंत्रीजी को मेरा तार मिला है जिसमें उस गूल को सुधारने की बात है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

३१ दिसम्बर को आपका तार मिला था। उसकी मरम्मत पहले और फिर पहली और दूसरी तारीख को हुई।

श्री गोपालसिंह वर्मा (जिला सहारनपुर)--

फसलों को पूरा पानी देने के लिये क्या सरकार कमान्ड एरियाको कम करने पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

इस कुंवे से और अधिक, ९५ एकड़ से ज्यादा, सींची जा सकती है।

श्री शिव राज सिंह (जिला बदायूं)--

क्या माननीय मंत्रीजी के पास ऐसे आंकड़े हैं जिनसे यह मालूम हो सके कि पिछले ३ वर्षों से कितना रकबा असिंचित रह जाता है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री कमलासिंह यादव--

इस बात को जानकर कि इस कुए का डिस्चार्ज पहले से कम हो गया है और इसीलिये उसकी सिंचाई ९५ एकड़ रह गयी है, और मंत्रीजी ने उसको डेवलप करने का भी प्रबन्ध नहीं किया है और न दूसरों को पम्प लगाने की आज्ञा ही दे रहे हैं तो मंत्रीजी असिंचित एरिया को सिंचित करने की क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

डिस्चार्ज के कम होने की तो सूचना है नहीं। जनवरी में नलकूप केवल ५८ घंटे चला फिर डिस्चार्ज कम होने का सवाल कैसे पैदा होता है ?

श्री बिपिन बिहारी तिवारी--

क्या माननीय मंत्रीजी एक साइफन बनवा कर कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जिससे गूलें आयन्ता न फटने पावें और निर्धारित क्षेत्रफल में सिंचाई हो सके ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

इसको जरूर दिखवा लेंगे।

कुम्भ मेले में स्पेशल बसें

*१३--श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष कुम्भ मेले के अवसर पर किन-किन जिलों से कितनी-कितनी बसें स्पेशल, प्रयाग जिले में लाई गईं तथा उनका किराया कितना नियुक्त किया था ? क्या ऐसा करने की आज्ञा राज्य सरकार ने दी थी ? यदि हां, तो क्या थी ?

माननीय मंत्री के तथा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

सूचना इस प्रकार है :

क्षेत्र जहां से बसें लाई गईं	बसों की संख्या
१	२
१—आगरा	७८
२—मेरठ	७४
३—बरेली	८५
४—गोरखपुर	९२
५—कानपुर	५१
६—कुमायूं	५०
७—लखनऊ	५०

ऐसी बसों का किराया ४ पैसे प्रति किलोमीटर प्रति यात्री नियुक्त किया गया था। प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन परिवहन आयुक्त ऐसा करने के लिये प्राधिकृत थे। शेष प्रश्न नहीं उठता।

*१४—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या यह सही है कि स्पेशल बसें अधिक समय तक प्रयाग से वापसी के लिये खड़ी रही हैं, क्योंकि अधिक किराये के कारण सवारियों ने बसों से वापस आना उचित नहीं समझा ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जी नहीं।

श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इनसे उनको कुल कितनी आमदनी हुई ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

अभी दो रीजन्स का हिसाब नहीं आया है, शेष रीजन्स से १० लाख की आमदनी हुई है।

श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या ये बसें विभिन्न जिलों की समय से चलने वाली बसों को करटेल कर के भेजी गयीं थीं जिससे वहां के लोगों को असुविधा हुई ?

श्री अध्यक्ष—

कहीं विरोध प्रबन्ध होगा तो ऐसा परिणाम हो सकता है।

श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि २२ जनवरी, सन् ५६, को वहां के आयुक्त महोदय ने बसों के बेकार रहने की बात कही है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

अध्यक्ष महोदय, हम को तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

क्या मंत्री जी यह देखते हुये कि इलाहाबाद के आयुक्त श्री शुक्ल ने ऐसी बात कही है कि सरकारी बसें बेकार खड़ी रहीं और वहां पर इलाहाबाद के जी० एम० साहब की आज्ञा से प्राइवेट बसें सैकड़ों की तादाद में चलती रहीं क्योंकि उनका किराया सरकारी बसों से कम था इस से सरकार की आय कम हुई, क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

जो हमारे पास सूचना है उसके अनुसार तो आय बढ़ी है बल्कि जो पिछले कुम्भ के मेले हुये हैं उन के मुकाबले में ज्यादा आय हुई है, तो हम कैसे मान लें कि बसें खड़ी रहीं ?

श्री रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर)---

साधारणतया उनका रोडवेज का नियम है कि जब ऐसे अवसरों पर बसें चलती हैं तो अपर के साथ-साथ लोअर वालों से भी अपर का किराया लेकर चलती हैं लेकिन माघ मेले में अपर का भी किराया ड्योढ़ा क्यों रखा गया था ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

मेलों के अवसर पर स्पेशल गाड़ियों का बढ़ा हुआ किराया होता है क्योंकि एकतरफा ट्रिप में खर्च अधिक होता है ।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)---

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि दूसरी बसें जो अन्य जिलों से चल रहीं थीं उनसे सरकारी बसों का किराया ड्योढ़ा था ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

किराया तो अधिक लिया ही गया है, ४ पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से लिया गया है जो अपर से भी ज्यादा होता है ।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)---

जैसा उन्होंने कहा है कि अपर से भी ज्यादा लिया गया; तो जब कुम्भ मेंजाने वाले यात्रियों को आपकी सरकार को नीति सुविधा देने की है तो उस नीति के विपरीत अधिक किराया क्यों लिया गया ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

यह गाड़ियां यात्रियों को सुविधा देने और उनको आने जाने में भीड़भाड़ से बचाने के लिये ही चलाई जाती हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

श्रीमन्, केवल अपर क्लास का किराया ही नहीं बढ़ा । अपर में तो ज्यादा किराया देने वाले लोग जाते हैं लेकिन अगर क्लास को खत्म कर के अपर के साथ मिलाकर एक स्पेशल क्लास बनाया गया और उस का किराया अपर और लोअर सब से अधिक कर दिया, इसकी मंत्री जी को जानकारी है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि ४ पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया बढ़ाया गया जो कि अपर से भी ज्यादा है और उसमें केवल एक स्पेशल क्लास ही रखा गया था।

श्री नाथूराम शिक्षक--

इलाहाबाद में विभिन्न मार्गों पर चलने वाली बसों की रोक कर जो स्पेशल बनाया गया, जनता को इसकी जानकारी कैसे कराई गई, बिना आधारों से कराई गई ?

(उत्तर के लिए मंत्री को नहीं पुकारा गया।)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने प्राइवेट बस वालों को भी परमिट दिये और वे अपने रेट पर उनको चलाते रहे जिससे सरकारी बसें (रोडवेज की) खड़ी रहीं क्योंकि इनका किराया अधिक था ? मैं जानना चाहता हूं कि कितने ऐसे प्राइवेट बसों को प्रदेश में परमिट दिया गया और उनके रेट्स क्या थे ?

श्री हरीदत्त कान्डपाल--

इस प्रकार की पूरी सूचना के लिये नोटिस की आवश्यकता होगी लेकिन इतना मैं बता दूं कि जिन मार्गों का नेशनलाइजेशन हो गया है उन पर तो रोडवेज की ही बसें चलीं और जिनका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है उनमें प्राइवेट बसों के चलने के परमिट दिये गये हैं। जहां तक स्पेशल परमिट देने का प्रश्न है इसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और आर० टी० ओ० को अधिकार है कि वे विशेष परिस्थिति में परमिट दे सकते हैं। कुम्भ मेले का जहां तक संबंध है, उसमें रोडवेज सारे भार को नहीं संभाल सकती थी। इसलिये भी प्राइवेट बसों को चलाने की आज्ञा दी गयी। स्पेशल परमिट केवल उन मार्गों पर दिये गये जिन पर रोडवेज नहीं थी।

श्री ऊदल--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बनारस से इलाहाबाद का जी० टी० मार्ग राष्ट्रीयकरण हो गया लेकिन फिर भी वहां पर प्राइवेट बस आपरेटर्स को बसें चलाने की इजाजत क्यों दी गयी है ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने अभी कहा है कि प्राइवेट बस चलाने के संबंधमें अगर सूचना चाहिये तो वे इत्तिला नहीं दे सकते हैं, इसके लिये उन्हें सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री ऊदल--

नहीं, श्रीमन्। इन्होंने कहा है कि जिन मार्गों का राष्ट्रीयकरण हो गया है उन पर प्राइवेट बस आपरेटर्स को चलने की परमिट नहीं दी गयी। तो बनारस इलाहाबाद से का जो मार्ग है और जिसका राष्ट्रीयकरण हो चुका है, उस पर हमेशा सरकार की बसें चलती हैं, तो उस पर प्राइवेट बसों को चलने की क्यों आज्ञा दी गयी?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

विशेष परिस्थिति में यदि राष्ट्रीयकरण भी किसी मार्ग का हो गया हो तो उस पर प्राइवेट बस वालों को बस चलाने की आज्ञा दी जा सकती है। इसी प्रकार से जिनका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है, उन पर सरकारी बसों को आज्ञा दी जा सकती है।

स्याना क्षेत्र में नलकूप के लिए निरीक्षण

*१५—श्री अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच) (अनुपस्थित), श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री मोहनलाल आचार्य (जिला पीलीभीत)—

क्या सरकार विधान सभा के प्रथम सत्र, १९६६ के प्रथम मंगलवार, १ फरवरी, १९६६ के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या २८ व २९ के उत्तर के संबंध में बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सोजना झांया व ग्राम इमलिया में कितने बड़े बड़े नाले हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इस संबंध में जांच-पड़ताल की जा रही है तथा सही स्थिति इसके पूर्ण होने पर ही मालूम होगी ।

*१६—श्री अब्दुल हसीब खां (अनुपस्थित), श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री मोहनलाल आचार्य—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त ग्राम सोजना झांया विधान सभा क्षेत्र स्थाना, बुलन्दशहर, में यह जांच कराने के लिये कि वहां एक राजकीय नलकूप का निर्माण किया जाना उचित है या नहीं, मौके का निरीक्षण करने के लिये नलकूप विभाग का कौन-सा अधिकारी कब पहुंचा और क्या उसने यातायात भत्ता सरकार से प्राप्त किया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इस क्षेत्र का सर्वेक्षण १५-२-१९६३ को जिलेदार द्वारा किया गया था । तत्पश्चात् अब तक इस क्षेत्र का निरीक्षण १८ तथा २० सितम्बर, १९६५ को अमीन द्वारा २३ सितम्बर, १९६५ को जिलेदार तथा ३ फरवरी, १९६६ को सहायक अभियंता द्वारा किया गया । अमीन इस दौरे के भत्ते का हकदार नहीं था । अन्य को भत्ता मिल चुका है, केवल सहायक अभियंता को भत्ता अभी तक प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही में ३ फरवरी, १९६६, को यहां का दौरा किया था ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनको क्या कठिनाई है कि वे बतायें कि कितने नाले हैं और उन्होंने इतना समय क्यों लिया इनका पता लगाने में ? यदि वहां पर कोई नाले हैं तो उनको क्यों नहीं गिना गया है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

हमने इसकी जांच करायी । उन्होंने एक रिपोर्ट दी । इसके संबंध में माननीय मंत्री जी से आपकी बात भी हुयी पर आपको सैटिसफेक्शन नहीं हुआ । चुंनाचे हमने फिर एक टैक्नीकल आफिसर को भेज दिया, आपके कहने के मुताबिक ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनको इस बात का ज्ञान है कि वे सही सूचना मंगाने में बेबस हैं क्योंकि उनके विभाग के जो अधिकारी हैं वे जो गलत सूचना पहले दी गयी है, उसके ऊपर कार्यवाही कर रहे हैं कि वह गलत सूचना ही रहे ? तो माननीय मंत्री जी, वहां पर मुख्य अभियन्ता या सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर को क्यों नहीं भेज दिया गया ? केवल एक अमीन गया, जबकि मंत्री जी ने गलत सूचना दी थी ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसको देखने के लिये अगर आप चाहें कि चीफ इंजीनियर या सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर जायें तो वह यही काम करते रहेंगे और प्रदेश का कोई काम होने वाला नहीं है । पहले दो

दफा दिखाया गया, फिर सहायक अभियन्ता ने देखा। आप को संतोष नहीं हुआ तो हमने टैक्निकल एग्जामिनर को भेज दिया।

श्री अध्यक्ष--

जब उसकी रिपोर्ट आ जाय, अगर माननीय सदस्य असंतुष्ट हों। तो देख लीजियेगा।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या मंत्री जी इस बात की जांच करेंगे कि जो अमीन ने १८, २० सितम्बर, १९६५ को जांच की थी और उसने रिपोर्ट की थी, क्या वह दफ्तर में मौजूद है या उसको फाड़ कर फेंक दिया गया? मुझको मालूम है कि उसको फाड़ कर फेंक दिया गया, गलत सूचना देने के बाद उसने वहां एक नलकूप के लिये रिकमेन्ड किया था। चूंकि वहां के सहायक अभियन्ता को काफी मात्रा के अन्दर रिश्वत नहीं मिली इस वजह से गलत सूचना माननीय मंत्री जी को दी?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

कौन-सी रिपोर्ट फाड़ कर फेंकी गई? जांच हम कर रहे हैं, हमारे पास रिपोर्ट है।

कटेहर क्षेत्र में नलकूप

*१७--श्री रघुनाथसिंह--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर अब तक वाराणसी जिले में कितने नलकूप बन चुके हैं और उनमें कटेहर, विधान सभा क्षेत्र में तैयार हुये नलकूपों की संख्या कितनी है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

तृतीय पंच वर्षीय योजना की समाप्ति पर अब तक वाराणसी जिले में ४१८ नलकूप बन चुके हैं जिन में से ४६ नलकूप कटेहर विधान सभा क्षेत्र में बने हैं।

*१८--श्री रघुनाथसिंह--

तृतीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर कटेहर विधान सभा क्षेत्र में कितने और कहां-कहां के प्रस्तावित नलकूप नहीं बन सके हैं?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

केवल एक नलकूप चोलापुर विकास खंड के अन्तर्गत ग्राम टिसोरा में नहीं बन सका है।

श्री रघुनाथसिंह--

क्या मंत्री जी इन तीन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, एक तो कटेहर विधान सभा क्षेत्र बनारस के अधिकांश विधान सभा क्षेत्रों से बड़ा है और वहां आपकी शारदा नहर की अन्तिम छोर की एक नहर गई है, १०, ५ गांवों की जो इतनी सिंचाई नहीं करती और शहर और चन्दौली के नहरी इलाके को छोड़ कर ७ विधान सभा क्षेत्रों में नलकूप की व्यवस्था होनी चाहिये तो इस हिसाब से कटेहर का नम्बर ६० के करीब होना चाहिये···

श्री अध्यक्ष--

लम्बी बहस हो रही है। आप संक्षेप में पूछें।

श्री रघुनाथसिंह--

क्या यही पूछूं कि ४८ ही क्यों लगे····

श्री अध्यक्ष---

आप प्रश्न संक्षेप में करिये।

श्री रघुनाथसिंह---

मैं जानना चाहता हूं कि कटेहर विधान सभा क्षेत्र में ६० नलकूप का औसत होना चाहिये। तो ४८ नलकूप ही लगाने का क्या कारण है ? और क्या उसकी कमी को पूर्ण करने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

पहले तो इतना भी नहीं था। अब ४८ लग गये।

श्री अध्यक्ष---

वह कहते हैं कि क्षेत्र का रकबा देखते हुए और बढ़ायेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

यह बात तो मैंने नहीं कही।

श्री कमलासिंह यादव---

मंत्री जी बतायेंगे कि चोलापुर ब्लाक में कितने नलकूपों की आवश्यकता है और कितने खुदवाये हैं और बाकी कब तक पूरे हो जायेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

सर्वेक्षण के बाद प्रोजेक्ट में जितना रुपया मिलता है उसके हिसाब से बनते हैं।

श्री कमलासिंह यादव---

मेरा सवाल यह है कि चोलापुर ब्लाक में कितने नलकूप सिंचाई के लिये सैंक्शन्ड हैं, कितने बने है और कितने बनेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री रघुनाथसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे कि उस विधान सभा क्षेत्र में जो कमी रह गयी है, उसको वह पूरा करने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

इस विकास योजना में नहर का पानी आ जाता है और दूसरे बिजली की लाइन दूर है। इन तमाम बातों को देखते हुए नलकूप बनाये जाते हैं।

श्री अदल---

जो नलकूप तृतीय पंचवर्षीय योजना में बनारस में लगने वाले थे उनमें २०, २५ नहीं लग सके हैं, तो क्या सरकार इस बात की कोशिश करेगी कि मई, जून के अन्त तक वे लग जायें ?

श्री अध्यक्ष---

आपने रघुनाथ सिंह के क्षेत्र को टाल दिया।

श्री रघुनाथसिंह---

चोलापुर विकास खंड का एक नलकूप नहीं लग सका तो क्यों नहीं लग सका और कब तक बन जाने की संभावना है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मैंने बतलाया कि इस क्षेत्र में सिंचाई नहर से हो जाती है। दूसरे बिजली की लाइन भी दूर है। चौथी पंचवर्षीय योजना में रुपया मिल गया तो सोचा जायगा।

श्री ऊदल--

मेरी जानकारी में है कि करीब २५, ३० नलकूप पूरे जिले में नहीं लग पाये हैं और योजना समाप्त होने जा रही है, तो क्या सरकार सिंचाई विभाग के अधिकारियों को आदेश देगी कि मई-जून तक सब नलकूप लग जायं ?

श्री गिरधारीलाल--

इस वक्त यह कहना मुश्किल है कि मई, जून तक सब नलकूप बन जायंगे लेकिन जितनी कमी है उसके लिये कोशिश की जायगी कि मई, जून तक जितना संभव हो सके कमी को पूरा किया जाय।

श्री कमलासिंह यादव--

चोलापुर ब्लाक गोमती के किनारे पड़ता है और वहां कुएं बनाने में ५, ६ हजार रुपया लग जाता है। ट्यूबवेल लग जाता है तो डिसचार्ज अच्छा देता है, तो क्या माननीय मंत्री जी इस ब्लाक में सिंचाई की समस्या को हल करने के लिये नलकूप लगा कर अधिक से अधिक मात्रा में इसको हल करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

जैसा मैंने कहा खोदने का सवाल ही नहीं है, बिजली की लाइन का भी सवाल है जो कि वहां नहीं है। लगाने में ज्यादा खर्च पड़ेगा। लिहाजा इतने नलकूप नहीं बन सकते।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

हमको जानकारी है कि अनेक प्रार्थना-पत्र आये लेकिन ९-९-६५ के प्रार्थना पर १९-३-६६ तक ६ महीने की देरी जिलाधीश से रिपोर्ट मंगाने में क्यों हुई ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

हल्द्वानी क्षेत्र में नलकूप

*१९--श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५७-५८ में सिंचाई योजना के अन्तर्गत स्थान हल्द्वानी में गोरा पड़ाव नलकूप, जिला नैनीताल के लिये सरकार ने काफी रुपया खर्च करके नलकूप बनवाया है ? यदि हां, तो उसको अब तक चालू न करने का क्या कारण है और कब तक सरकार उसे चालू करने का विचार करती है ?

श्री गिरधारीलाल--

जी हां। उक्त स्थान पर एक एक्सप्लोरेटरी नलकूप खोदा गया था जो सन् १९६१ में तैयार हो गया था। परन्तु चालू होते ही उसका स्टार्टर जल गया। उसमें नया स्टार्टर लगना है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बम्बई की एक फर्म से मंगाया गया है। स्टार्टर नवम्बर, १९६६ तक प्राप्त होने की आशा है तथा उसके पश्चात् ही नलकूप चालू होने की आशा की जाती है।

*२०--श्री रामकिंकर (अनुपस्थित)--

क्या यह सच है कि पेय जल योजना के अन्तर्गत सरकार ने तेजपुर नेगी, नलकूप हलका जैपुर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल में नलकूप का निर्माण किया है, किन्तु वह शुरू से ही टूटा पड़ा है और जनता के प्रयोग में नहीं आ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार को इसकी सूचना मिली है ? यदि मिली है तो उसे जनता के प्रयोग में लाने के लिये क्या आदेश दिये गये हैं ?

श्री गिरधारीलाल--

पेय जल योजना के अन्तर्गत तेजपुर नेगी, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल में सन् १९५३ में एक नलकूप निर्मित हुआ था जो सुचारू रूप से चल रहा है।

आजमगढ़ जिले से श्री ठाकुर तिवारी की पत्नी का पेंशन के लिए आवेदन-पत्र

*२१--श्री रामसुन्दर पाण्डेय तथा श्री भीमा प्रसाद (जिला आजमगढ़)--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पो० लखनौर, जिला आजमगढ़ के निवासी, स्वर्गीय ठाकुर तिवारी की पत्नी को अब तक आजीवन पेंशन न देने का कारण क्या है जब कि श्री तिवारी की मृत्यु दिनांक १७ अगस्त, १९६१ को ही हुई तथा वे आजीवन पेंशनर थे और उनकी पत्नी का प्रार्थना-पत्र सरकार के पास अनेकों बार आ चुका है?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

स्वर्गीय श्री ठाकुर तिवारी की पत्नी का पेंशन हेतु केवल एक आवेदन-पत्र दिनांक ९-९-६५ को प्राप्त हुआ है। उस पर जिला मैजिस्ट्रेट आजमगढ़ की रिपोर्ट १९-३-६६ को उपलब्ध हुई है जो शासन के विचाराधीन है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

हमको जानकारी है कि अनेक प्रार्थना-पत्र आये लेकिन ९-९-६५ के प्रार्थना पर १९-३-६६ तक ६ महीने की देरी जिलाधीश से रिपोर्ट मंगाने में क्यों हुई?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

जिले से रिपोर्ट आने में देर होती है लेकिन ६ महीने की देरी कोई ज्यादा देरी नहीं मालूम होती।

श्री रामसुन्दर काण्डेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इसका निर्णय कब तक हो जायगा?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

रिपोर्ट आ चुकी है। जल्दी ही इसका निर्णय हो जायगा।

*१-३--श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण हटा दिये गये।]

स्याना क्षेत्र में नीम नदी योजना

*४--श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र स्याना, जिला बुलन्दशहर में नीम नदी को जिसको गहरा करने की तथा बाढ़ पीड़ित सुरक्षा की योजना है, उसमें मंत्री जी उक्त नदी को सटला से थलइनायतपुर होते हुये सहनपुर को मिला कर सीधा करने की कृपा करेंगे जिससे कई ग्रामों के क्षेत्र को बाढ़ से मुक्ति मिल जाय?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

जी नहीं।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि नीम नदी को गहरा करने की योजना को कब कार्यान्वित करेंगे?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह तो बड़ी भारी स्कीम है। जब रुपया मिल जायगा और फ्लड कंट्रोल बोर्ड से पास हो जायगा तब काम शुरू हो सकेगा।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

इस बात को देखते हुये कि नीम नदी की बाढ़ से हजारों एकड़ भूमि की क्षति पहुंचती है, क्या मंत्री जी इस बात का प्रयास करेंगे कि जो आवश्यक रुपया है उसको जल्दी उपलब्ध करें ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

कोशिश जरूर करेंगे साहब।

स्याना क्षेत्र में नलकूपों से सिंचाई

*५—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र स्याना, जिला बुलन्दशहर के ग्राम भड़कऊ में रजबहा—शाखा बहादुरगढ़ (गंगा नहर, मेरठ डिवीजन) के सिंचाई क्षेत्र में से किन कारणों से बहुत सी भूमि को निकाल कर कुलावा संख्या ५८ के सिंचाई क्षेत्र में सम्मिलित किया जा रहा है और ६१ नं० के कुलाबे का रकबा ६१ पर और कु० ५८ का रकबा ५८ पर जो पहले से सिंचाई हो रही है, क्यों नहीं रक्खा जाता, जिससे ग्राम भड़कऊ के कृषकों में अत्यन्त असन्तोष है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

क्षेत्र स्याना जिला बुलन्दशहर के भड़कऊ ग्राम के बहादुरगढ़ रजबहे के कुलाबा नं० ५८ के कमान्ड में कोई नया रकबा सम्मिलित नहीं किया जा रहा है और न ही उसमें कोई विशेष परिवर्तन किया जा रहा है। केवल लगभग २ एकड़ क्षेत्र किसानों के प्रार्थना-पत्र पर कुलाबा नं० ५८ के कमान्ड से निकाल कर कुलाबा नं० ६१ के कमान्ड में स्थानान्तरित किया जा रहा है। कुलाबा नं० ६१ के कमान्ड का कोई क्षेत्र कुलाबा नं० ६२ के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ग्राम भड़कऊ में रजबहा शाखा बहादुरगढ़ के कुलाबा नं० ५८ तथा ६१ की बारबन्दी किस सन् में हुई थी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसकी तो मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्यों सूचना नहीं है, सवाल तो यह है ? इस सूचना को उपलब्ध करके कि वहां बार बन्दी कब हुई थी, नक्शे से नहीं, क्योंकि नक्शे में रद्दोबदल हो जाती है बल्कि उन कागजात को दे करके, क्या मंत्री जी इसकी जांच करवाने की कोशिश करेंगे कि वास्तविकता में कुलाबा नं० ६१ का बहुत बड़ी मात्रा में रकबा कुलाबा नं० ५८ में जोड़ दिया गया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैंने कैटेगोरिकल स्टेटमेंट यहां दिया है कि कुलाबा नं० ५८ में से केवल २ एकड़ कुलाबा नं० ६१ में लिया गया है।

मोती चक ब्लाक में नहर बनाने का विरोध

*६—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में नारायणी नहर खंड जो देवरिया में नई ब्रांच बनने जा रही है उसके सम्बन्ध में जनता द्वारा जो विरोध-पत्र सरकार को मिले हैं उसके सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मोती चक ब्लाक के विभिन्न गांवों से एक ही विषय के तीन प्रार्थना-पत्र, जिनमें उपरोक्त क्षेत्र में नहर न बनाने की मांग की गई थी, प्राप्त हुए थे। चूंकि इन प्रार्थना-पत्रों में की गई मांग जिले के विकास कार्यक्रम से महत्वपूर्ण सम्बन्ध रखती है इसलिए इस विषय में जिला परिषद् तथा जिलाधीश देवरिया से सुझाव मांगे गए हैं और उनका उत्तर प्राप्त होने पर आगे विचार किया जायगा।

*७—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

इस बात को ध्यान में रखते हुये कि प्रश्न (१) में उल्लिखित नहर जहां निकालने की योजना है उस भूमि का लेबिल नीचा है तथा गूलों के बनाने में कठिनाई होगी, क्या सरकार बरवा जमुनी नं० १, ग्राम के दक्षिण पश्चिम से वही नहर निकालने की कृपा करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह मामला विचाराधीन है।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

अध्यक्ष महोदय, यह दोनों प्रश्न एक दूसरे से संबंधित हैं। पहले प्रश्न में जो नहर बन रही है उसका विरोध किया गया है कि वहां न बनाई जाय। दूसरे प्रश्न में सुझाव दिया गया है कि नहर वहां बनाये जाने के बजाय बरवा जमुनी नं० १, ग्राम के दक्षिण, पश्चिम से वह नहर निकाल दी जाय। मैं जानना चाहता हूं कि इस सुझाव के सम्बन्ध में जिला परिषद् के अध्यक्ष से राय ली गई है और उसके औचित्य को समझा है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, बात यह है कि यह नहर एक जगह बनाई जा रही है लेकिन अब कहा जा रहा है कि नहर यहां न बनाई जाये, दूसरी जगह बनाई जाय क्योंकि वहां के लोग अपनी जमीन देना नहीं चाहते हैं। पहली जगह से दूसरी जगह जहां का सुझाव दिया गया है जरूर जमीन ऊंची है और पानी जा सकता है। लेकिन रास्ते में एक नाला पड़ता है और आगे वह कट जाया करता है। इसलिये इस में परेशानी है। वैसे हमने उनसे भी पूछा है और चूंकि आप लोगों का हुक्म था इसलिये हम एडीशनल चीफ इंजीनियर को भेज रहे हैं कि जांच कर लें और देख लें।

आजमगढ़ जिले में सिंचाई के लिए बिजली

*८—श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपा करके यह बतायेंगे कि पम्पिंग सेट के लिए बिजली कनेक्शन पाने के लिए आजमगढ़ जिले से प्राप्त कितने प्रार्थना-पत्र तथा कब से आजमगढ़ के अधिशासी अभियन्ता के विचराधीन हैं और उन्हें अब तक बिजली शक्ति किन कारणों से नहीं मिल सकी ?

नोटः—तारांकित प्रश्न ७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री गिरधारीलाल—

आजमगढ़ जिले में कुल ७९ व्यक्तियों को ट्यूबवेल व पम्पिंग सेट के लिए अब तक बिजली नहीं दी जा सकी है। इनके प्रार्थना-पत्रों के प्राप्त होने की तिथि व कनेक्शन देने की अवस्था संलग्न विवरण-पत्र में दी हुई है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९६१–९६२ पर)

सआदतनगर सिंचाई क्षेत्र

*९—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मौजा सआदतनगर, तहसील मिसरिख, जिला सीतापुर में कुल कितने एकड़ जमीन है और उसमें से कितनी एकड़ जमीन को पानी की सहूलियत है?

श्री गिरधारीलाल—

उक्त स्थान का कुल क्षेत्र १,७५७.६१ एकड़ है। इस रकबे में से १,०८२ एकड़ रकबा नहरी कमान्ड में है।

सहायक यातायात निरीक्षकों को भत्ता

*१०—श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मन्त्री कृपा करके यह बतायेंगे कि सहायक यातायात निरीक्षकों को आगरा, मेरठ, कुमायूं, बरेली, लखनऊ, गोरखपुर यातायात क्षेत्रों में चेकिंग का भत्ता किस हिसाब से मिलता है?

परिवहन मन्त्री (श्री मुजफ्फर हसन)—

फाइनेन्शियल हैंड बुक, खण्ड ३ में निहित नियमों के अनुसार।

*११—श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)—

क्या यह सच है कि गोरखपुर रीजन के भूतपूर्व जनरल मैनेजर ने कोई अपने आदेश से सभी सहायक यातायात निरीक्षकों का चेकिंग भत्ता बन्द कर दिया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

बाढ़ शरणालय, बरदह

*१२—श्री भीमाप्रसाद तथा श्री राम सुन्दर पाण्डेय—

क्या सिंचाई मन्त्री दिनांक १ फरवरी, १९६६ के तारांकित प्रश्न संख्या १ के उत्तर में बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ शरणालय बरदह, जिला आजमगढ़ का निर्माण कब और किसके आदेश से कितने रुपए में बनाया गया तथा जिलाधीश की संस्तुति कब बरदह ग्राम में बाढ़ शरणालय बनाने के लिए विभागीय अधिकारियों के पास आई?

श्री गिरधारीलाल—

इस शरणालय का निर्माण सन् १९६०–६१ में अधीक्षक अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, फैजाबाद के आदेश से ७,३०४ रुपए में हुआ था और जिलाधीश, आजमगढ़ की संस्तुति सितम्बर, १९५८ में आई थी।

*१३-१४—सर्व श्री भीमाप्रसाद तथा रामसुन्दर पाण्डेय—

[कल मंगलवार के लिए स्थगित किए गए।]

आगरा जिले में टर्मीनल माइनर कुलाबा नं० ७३

*१५—श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा जिले में टर्मीनल माइनर १५ मील ५ फर्लांग पर स्थित कुलाबा नं० ७३ कब से लगा है, इससे सिंचाई किसमे रकबे की होती है ?

श्री गिरधारीलाल—

कुलाबा नं० ७३ मील १५-५-६० पटरी बांई रजबहा टर्मीनल आगरा जिले में शुरू से ही लगा हुआ है। इस से पिछले ७ साल में निम्नलिखित सिंचाई हुई है :—

आबपाशी रबी

	१३६६	६७	६८	६९	७०	७१	७२
एकड़ ..	१०३	१७९	१४५	१२३	११४	९४	९७

*१६—श्री राजेन्द्रसिंह यादव—

क्या सरकार कृपया यह भी बतावेगी कि इस कुलाबा को दो हिस्सों में बांटने का क्या कारण है ? जबकि कुलाबा ऊंचाई पर लगा है छोटा होने से सारे रकबा में पानी पहुंचना मुश्किल होगा ?

श्री गिरधारीलाल—

कृषकों की मांग पर ही कुलाबे को २ भागों में बांट दिया गया है ताकि पानी का वितरण समभाव से हो सके। पानी सारे रकबे को दिया जा सके इसलिए ५ इंच वहन का एक कुलाबा मील १६-०-३६० पर भी दे दिया गया है।

*१७—श्री राजेन्द्रसिंह यादव—

क्या सरकार के पास क्षेत्र की जनता ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि कुलाबा जिस हालत में लगा है, लगा रहे और इसको छोटा न किया जाय ? सरकार इस मांग को स्वीकार करने में क्या कठिनाई समझती है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, कुछ कृषकगणों ने इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिया था। ये काश्तकार नहीं थे जिनको इस पूरे पानी से अधिक लाभ हो रहा था किन्तु कुछ कृषकों को अपने क्षेत्र में पानी ले जाने की बड़ी तकलीफ होती थी इसलिए सब की सुविधा के लिए कुलाबे को दो हिस्सो में कर दिया गया ताकि पानी का वितरण कृषकों में समभाव से हो सके।

सेमराडांग में आदिवासियों के जले टपरों का मामला

*१८—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि सन् १९६५ ललितपुर, जिला झांसी के बेतवा नहर के सहायक अभियन्ता द्वारा सेमराडांग थानाधार (ललितपुर) जिला झांसी के आदिवासियों के टपरों व बागड़ों मे स्वयं अपने आदेश पर आग लगवा कर खाक करा दिए गए थे ? यदि हां, तो उक्त कृषकों को क्या मुआवजा सरकार द्वारा दिया गया व उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं, यह सत्य नहीं है।

*१९—श्री लखपतराम शर्मा—

[८वें मंगलवार के लिए स्थगित किया गया।]

मड़ियाहूं ब्रांच से छोटी नहर निकालने की प्रार्थना

*२०—श्री श्यामसुन्दर शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपा कर बतलायेंगे कि क्षेत्र शाहपुर ११९, जिला प्रतापगढ़, मड़ियाहूं ब्रांच कैनाल से जो माइनर ग्राम नौड़रो से बैरमपुर की तरफ ले जाने के लिए अर्से से जेरे तजवीज है वह काम अब तक क्यों नहीं पूरा किया गया जिसके अभाव में अकाल की दशा प्राप्त है ?

श्री गिरधारीलाल—

ग्राम मोड़रो से बैरमपुर की तरफ जाने के लिए अर्से से कोई नहर तजवीज नहीं थी। इसलिए इसके पूरा करने का प्रश्न नहीं उठता।

*२१—श्री श्यामसुन्दर शुक्ल—

क्या सरकार उस माइनर को शीघ्र ही बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रश्न नहीं उठता।

*२२—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

[पुनरावृति होने के कारण हटा दिया गया।]

*२३—२५ श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

[८वें मंगलवार के लिए स्थगित किए गए।]

जौनपुर–वाराणसी मार्ग पर बस दुर्घटना

*२६—श्री राम समझावन (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जौनपुर—वाराणसी रोड पर बाबतपुर पिंडरा के बीच दिनांक ३१ जनवरी, १९६६ को रोडवेज बस से एक २५ वर्षीय नव युवक की मृत्यु हो गई ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां।

*२७—श्री राम समझावन—

क्या यह बात सही है कि उपरोक्त मृतक की साइकिल २ मील तक गाड़ी के बम्पर में फंसी हुई चली गई क्योंकि ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां।

*२८—श्री राम समझावन—

क्या सरकार मृतक के परिवार को मआवजा देगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—

मामले की जांच समाप्त होने पर ही इस विषय में कुछ कहा जा सकता है।

सिकन्दरपुर—बांसडीह मार्ग पर बस सर्विस

*२९—श्री रघुनाथ (जिला बलिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बलिया में जो सड़क सिकन्दरपुर, मनियर, बांसडीह होते हुए बलिया जा रही है उस पर कितनी प्राइवेट बसें इस समय चल रही हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

इस मार्ग पर इस समय १९ बसें चल रही हैं।

*३०—श्री रघुनाथ—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बलिया में सिकन्दरपुर—मनियर—बांसडीह होते हुए बलिया जाने वाली सड़क पर रोडवेज की सरकारी बसें क्यों नहीं चलाई जा रही हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

उक्त मार्ग का अभी राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है।

*३१-३३—श्री रामकिशोर वर्मा—

[८वें मंगलवार के लिए स्थगित किए गए।]

साहू फैक्टरी का पानी

*३४—श्री कमलासिंह यादव तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सुल्तानपुर लडवां बांध, तहसील चन्दौली, जिला वाराणसी में साहू फैक्टरी का पानी बहाने के लिए कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? और नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—जी नहीं।

द्वितीय भाग—पानी इतनी अधिक मात्रा में नहीं है कि कोई योजना बनाई जावे।

*३५—श्री कमलासिंह यादव तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

[प्रश्नकर्ता सदस्यों से स्पष्टीकरण की प्राप्ति हेतु हटा दिया गया।]

हवौड़ा व इसोपुर आदि ग्रामों में नलकूप लगाने की मांग

*३६—श्री कमलासिंह यादव तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मौजा हवौड़ा व इसोपुर (सिधौना) अबैहता, बहुरा नेवादा, उपधी (पिपनार), घरवा, मीरपुर, तिरवाह ग्रामों में नलकूप लगाने की कोई योजना है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं।

जखनिया क्षेत्र में नलकूप

*३७—श्री झिलमिट राम (जिला गाजीपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जिले में जखनियां सेक्शन में सुपरवाइजर के पास कोई स्टोर नहीं है और न अलग से स्टोर है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और क्या वहां के २५ नलकूपों हेतु सामान सेन्ट्रल से लेना पड़ता है जिससे नलकूप १० दिन तक बन्द रहते हैं?

श्री गिरधारीलाल—

गाजीपुर जिले में जखनियां कोई अलग सेक्शन नहीं है। जखनियां क्षेत्र के सुपरवाइजर का हेडक्वार्टर गाजीपुर में है। सेन्ट्रल स्टोर गाजीपुर में सामान उपलब्ध रहता है और वहां से आवश्यकतानुसार सामान ले लिया जाता है।

*३८—श्री झिलमिट राम—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव हमीदधाम, ब्लाक जखनियां, तहसील सैदपुर (गाजीपुर) में सिंचाई हेतु ट्यूबवेल कब लगाया जायेगा?

श्री गिरधारीलाल—

ग्राम हमीदधाम में नलकूप लगाने के हेतु सर्वेक्षण किया जायगा और यदि मितव्ययिता व प्राविधिक दृष्टि से उपर्युक्त पाया गया तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में नलकूप प्रस्तावित किया जायगा जिसका निर्माण भविष्य में गाजीपुर जनपद के लिये प्रदिष्ट नलकूपों की संख्या व जिला स्तर पर बनाई गई कमेटी की स्वीकृति पर निर्भर होगा।

हाथरस तहसील में श्री डालचन्द को नलकूप कनेक्शन न मिलना

*३९—श्री कन्हैयालाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि आज से लगभग २ वर्ष पूर्व गढ़ी तमना (नगला भूरा), तहसील हाथरस, जिला अलीगढ़ निवासी श्री डालचन्द नामक किसान को ट्यूबवेल लगाने को बिजली का कनेक्शन स्वीकार हुआ था और अभी तक उक्त ट्यूबवेल को चालू करने को बिजली नहीं दी गई है? यद्यपि उसने समस्त कार्य पूरा कर लिया है और उसकी खेती बरबाद हो रही है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां। श्री डालचन्द का नलकूप छोटी महर से वर्जित दूरी के अन्दर है, इस कारण उनको कनेक्शन नहीं दिया गया।

*४०–४१—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—

[८वें मंगलवार के लिए स्थगित किए गए।]

कैनाल कालोनी, लखनऊ में क्लब की जमीन

*४२—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि तारीख १५ फरवरी, १९६६ के प्रश्न संख्या १० व ११ नस्थी "घ" के सम्बन्ध में जो क्लब निवास स्थान नं० ३ कैनाल कालोनी, पुराना किला, लखनऊ में स्थित है, वह भूमि सरकारी है या किसी अन्य व्यक्ति की?

श्री गिरधारीलाल—

वह भूमि सरकारी है।

*४३—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा) तथा श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

[८ वें शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया।]

पकड़ीताल पम्प नहर

*४४—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले में पकड़ी ताल में इस साल कम बरसात होने से, पानी कम हो गया है और पकड़ी ताल पम्प नहर के लिए गन्ना की बराई के लिए पानी नहीं मिल रहा है?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां। वर्षा की कमी के कारण ताल में पानी की कमी है परन्तु गन्ने की सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करने का प्रयास किया जा रहा है।

*४५—श्री झारखंडेराय—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पकड़ी ताल में पम्प नहर के लिए पानी के अभाव को दूर करने के लिए और किसानों का सुविधा को दृष्टिकोण में रख, डोहरी घाट पम्प नहर से पकड़ी ताल में पानी भरने की योजना पर सरकार विचार करने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों? और यदि हां, तो कब तक?

श्री गिरधारीलाल—

इस योजना पर पहले विचार किया गया था परन्तु उसे कार्यान्वित करना सम्भव नहीं पाया गया।

कानपुर में बस स्टेशन की इमारत

*४६—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि कानपुर रीजन में प्रयाग नगर से महेवाघाट जाने वाले बस रूट पर तहसील हेडक्वार्टर में कानपुर में बस स्टेशन की सरकारी इमारत कब तक बन कर तैयार हो जायगी?

श्री मुजफ्फर हसन—

भूमि मिलने के पश्चात् बस स्टेशन की इमारत का निर्माण हो सकेगा।

सिंचाई विभाग में असिस्टेंट इन्जीनियर्स का प्रोमोशन

*४७—श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश में कितने पुराने असिस्टेंट इंजीनियर्स ऐसे हैं जो कि लगभग दस वर्ष से इस मुहकमे में सेवा कर रहे हैं और जिनका कन्फर्मेशन और प्रोमोशन अपने नम्बर पर नहीं हो पाया है तथा उसके क्या कारण हैं?

श्री गिरधारीलाल—

अड़तालिस हैं।

कारण है उनके द्वारा विभागीय परीक्षायें पास न कर सकना, उनके विरुद्ध चल रही जांच तथा असन्तोषजनक कार्य आदि।

मैनपुरी डिवीजन में बिजली कनेक्शन के मामले

*४८—श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी) तथा श्री महरामसिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी डिवीजन में विद्युत् विभाग में कितने ऐसे मामले हैं जो एक वर्ष या इससे अधिक समय पूर्व स्वीकृत हुये थे और अभी तक उनको बिजली नहीं मिल सकी ?

श्री गिरधारीलाल—

एक सौ उन्तालीस ।

*४९—५०—श्री रत्नपालसिंह—

[८वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

घोसी तहसील में नलकूप

*५१—श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि आजमगढ़ जिले के तहसील घोसी के अन्तर्गत ग्राम काठतरांव तथा नीमडाड में गत वर्ष ट्यूबवेलों का निर्माण हुआ था ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, दोनों स्थानों पर एक-एक नलकूप का निर्माण हुआ है ।

*५२—श्री बृजबिहारी—

क्या सरकार को मालूम है कि इन ट्यूबवेलों की गूलों का निर्माण न होने से किसानों को पानी नहीं मिल रहा है ?

श्री गिरधारीलाल—

दोनों नलकूपों पर कच्ची गुलों का निर्माण हुआ है और काठतरांव के नलकूप से पानी भी मिल रहा है । नीम डाड के नलकूप का अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है इसलिये इस नलकूप से पानी नहीं मिल पा रहा है ।

*५३—श्री बृजबिहारी—

यदि हां, तो क्या सरकार इस बात की शीघ्र व्यवस्था करने जा रही है जिससे इन ट्यूबवेलों द्वारा किसानों को पानी मिलने लगे ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां ।

*५४—श्री भगवानदीन—

[८वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

बाराबंकी-टिकैतनगर पर बस सर्विस

*५५—श्री गिरजाप्रसाद—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मण्डल के बाराबंकी टिकैत नगर मार्ग को राजकीय यातायात की बसें चलाने हेतु, सरकारी अधिकार में करने के लिये १९६४ व ६५ में कब कब विज्ञप्तियां प्रकाशित की गयीं, उन पर क्या क्या आपत्तियां प्राप्त हुईं और आपत्तियों पर क्या कार्यवाही की गई ?

*५६---क्या उपरोक्त मार्ग को सरकार ने अपने अधिकार में लेने का आदेश दे दिया था ? यदि हां, तो कब ?

*५७---क्या उपरोक्त मार्ग पर सरकारी रोडवेज की बसें चलती हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*५८-६०---श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)---

[८ वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

कायमगंज तहसील में मानिकपुर स्केप पर पुल न होना

*६१---श्री महरामसिंह---

क्या सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले की कायमगंज तहसील में मानिकपुर स्कैप मील नं० ५, फर्लांग ७ पर पुल बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक कार्य शुरू किया जा सकेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल---

इस पुल के बनाने के सुझाव पर विचार किया गया था परन्तु आर्थिक तथा अन्य कठिनाइयों के कारण पुल का निर्माण संभव नहीं पाया गया ।

*६२---श्री मतोलासिंह---

[७वें बुधवार के लिये प्र० सं० ५२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

गोरखपुर जिले में बस सर्विस

*६३---श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)---

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर में खजनी, सिकरीगंज, बरुआ बाजार एवं गोला सड़क पर रोडवेज की बसों को न चलाने के क्या कारण हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---

इस मार्ग के राष्ट्रीयकरण की योजना अभी विचाराधीन है ।

*६४---श्री चन्द्रबली सिंह---

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर सोपाई घाट, गोरखपुर-माल्हनपार धुरियापार, गोरखपुर, किसरीगंज, गोला बड़हलगंज मार्ग पर प्राइवेट बसें चलाने के लिये इधर दो माह के अन्दर परमिटें दी गई हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? सरकारी बसें कब से चलाई जावेंगी ?

श्री मुजफ्फर हसन---

केवल गोरखपुर माल्हनपार, धुरियापार मार्ग के लिये १ परमिट दिया गया है । प्रतीत होता है जनहित में दिया गया है । इन मार्गों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न अभी विचाराधीन है । कब से सरकारी बसें चलेंगी यह कहना सम्भव नहीं है ।

बड़ागांव ब्लाक में बिजली

*६५---श्री ऊदल---

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा गंगाकलां, (गगवां) तथा कुंडी, ब्लाक बड़ागांव तहसील व जिला वाराणसी का सर्वेक्षण विद्युतीकरण हेतु सन् ६३ व ६४ में किया गया था ? यदि हां, तो अब तक विद्युतीकरण न करने का कारण क्या है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, धन की कमी के कारण इन ग्रामों का विद्युतीकरण न हो पाया ।

रामगंगा नदी पर अध्याप्त जमीन

*६६—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रामगंगा कैनाल के निर्माण हेतु कितनी कितनी जमीन प्रत्येक प्रत्येक जिले में ली गई है ? उसमें कितनी जमीन उपयोग में लाई गई तथा कितनी शेष हैं ?

*६७—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रामगंगा कैनाल में किन-किन स्थानों में रेलवे से लाइन व सड़कों के पुल बनेंगे तथा उनमें से कुल कितने पुल बनने शेष हैं ?

श्री गिरधारीलाल—

सूचना प्राप्त करने में बहुत समय तथा धन लगेगा जो प्रश्नों की उपयोगिता के अनुरूप न होगा ।

परिवहन विभाग, खलीलाबाद में गबन

*६८—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती उपक्षेत्र, परिवहन विभाग, खलीलाबाद में जो गबन हुआ था और जिसका फैसला जुडीशियल अफसर, खलीलाबाद, (बस्ती) ने १ साल पूर्व दिया था, उसमें कौन-कौन अधिकारी गबन के जिम्मेदार ठहराये गये थे और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुजफ्फर हसन—

उक्त फैसले में गबन की जिम्मेदारी किसी अधिकारी पर नहीं स्थापित की गई । परन्तु उस फैसले में कुछ विभागीय अधिकारियों पर असावधानी का आक्षेप किया गया । इस संबंध में विभागीय जांच हो रही है ।

*६९—श्री उग्रसेन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गबन का रुपया किन-किन अधिकारियों से और कितना कितना वसूल किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—

उपरोक्त विभागीय जांच के पश्चात् ही इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है ।

*७०—श्री उग्रसेन—

क्या सरकार उक्त गबन के फैसले की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—

फैसला बाकायदा अदालत की मिसिल में देखी जा सकता है ।

रामनगर—बदौसराय—पारिजातवृक्ष बिजली लाइन

*७१—श्री घनश्यामदास (जिला बांराबंकी)—

क्या सिंचाई मंत्री बतानेकी कृपा करेंगे कि जो बिजली लाइन बाराबंकी जिले के रामनगर से बदौसराय व पारिजातवृक्ष तक ले जाई जा रही है उससे किन-किन ग्रामों को बिजली मिल सकती है ?

श्री गिरधारीलाल—

रामनगर से बदौसराय व पारिजात वृक्ष की ओर जो बिजली की लाइन ले जाई जा रही है उससे उन ग्रामों का विद्युतीकरण किया जायेगा जिन ग्रामों के विद्युतीकरण की लागत पर १५ प्रतिशत रिटर्न मिले । यह धन की उपलब्धता पर भी निर्भर करेगा ।

*७२—श्री घनश्यामदास—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इन ग्रामों में कब तक तार खिंच जायेंगे और बिजली फैलने, जलने लगेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि अभी सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है ।

*७३—श्री घनश्यामदास—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जिन रास्ते से बिजली ले जायी गई है उससे कितने सरकारी और कितने प्राइवेट ट्यूबवेलों को बिजली मिल सकेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

फिलहाल रामनगर से जो लाइन बदौसराय की ओर बनाई जा रही है उससे तीन राजकीय नलकूपों को बिजली दी जावेगी । निजी नलकूपों को बिजली का विभागीय औपचारिकता पूर्ण होने पर निर्भर करेगी ।

श्री जगदीशशरण रावत, बुकिंग क्लर्क, सम्भल की बहाली

*७४—श्री नरेन्द्रसिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या परिवहन मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि जगदीशशरण रावत, बुकिंग क्लर्क, सम्भल, मुरादाबाद को अपनी नौकरी में फिर से लिये जाने के आदेश उनकी अपील पर परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा मई, १९६५ में दिये गये हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां ।

*७५—श्री नरेन्द्रसिंह—

यदि हां, तो उनके विरुद्ध फिर से चार्ज शीट वगैरह लगाने की कार्यवाही जनरल मैनेजर द्वारा क्यों की जा रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

श्री रावत की सेवायें एक माह का वेतन देकर समाप्त कर दी गयी थीं । उप परिवहन आयुक्त ने आदेश दिये कि उन्हें पुनः नौकरी पर लेकर अपनी सफाई का मौका दिया जाय ।

*७६—श्री बृजबिहारी—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया ।]

अतारांकित प्रश्न

न्याय विभाग में विभागीय पुनर्गठन समिति

१—श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के न्याय विभाग में कोई विभागीय पुनस्संगठन समिति स्थापित की गई है जिसमें इस बात पर विचार हो रहा है कि विधेयक (बिल्स) की ड्राफ्टिंग जो बहुत ही न्यून स्तर पर है उसका सुधार किस प्रकार किया जाये ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—

प्रश्न में जो यह कहा गया है कि बिल्स की ड्राफ्टिंग बहुत ही न्यून स्तर पर है, सही नहीं है । एक विभागीय पुनर्गठन समिति स्थापित की गयी है जिसमें विभाग के संगठन व कार्य-प्रणाली के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न पहलुओं पर विचार हो रहा है जिसमें एक यह भी है कि ड्राफ्टिंग का स्तर ऊंचा बनाये रखने के लिये क्या उपाय किये जायें ।

मैनपुरी जिले में नलकूप लगाने की प्रार्थना

२—श्री सूबेदारसिंह तथा श्री महरामसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हाल में सरकार को विधायकों तथा जनता के इस आशय के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं कि मैनपुरी जिले की असिंचित भूमि की सिंचाई के लिये राजकीय नलकूप लगवाये जाने की व्यवस्था की जाय ? यदि हां, तो उन प्रार्थना-पत्रों पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां । इस सम्बन्ध में नये नलकूप के निर्माण की सम्भावनाओं हेतु प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

३–४—श्री मूलचन्द शास्त्री—

[८वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

५–६—श्री रामसिंह—

[८वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

७—श्री चन्द्रबली सिंह—

[८वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

मंझनपुर तहसील को बिजली न मिलना

८—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या सिंचाई मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिला इलाहाबाद की तहसील मंझनपुर में विद्युत् प्रसार की योजना कब से चालू की जायगी तथा कब तक पूर्ण हो जायगी ?

श्री गिरधारीलाल—

जिला इलाहाबाद की तहसील मंझनपुर विभागीय लाइनों से काफी दूरी पर स्थित है और इस क्षेत्र में विद्युत् प्रसार के लिये चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत विचार किया जायेगा ।

प्रश्नों के स्थगन पर आपत्ति

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

अध्यक्ष महोदय, प्रश्नों के संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप जरा उसको गौर से सुनने की कृपा करें । यह सवाल मैं आपके सामने पेश कर चुका हूं और उसके बावजूद भी कोई फल नहीं निकला । आपके कार्यालय में मैंने कहा था कि हमारे पास प्रतिबंधित सूची जो २२ मार्च की है, उसमें ३६,३७,३८ नम्बर के सवाल बिना मेरे स्पष्टीकरण के स्थगित कर दिये गये । श्रीमन्, आप जानते हैं कि जब सवाल आपके यहां से स्वीकृत होकर संबंधित मंत्रियों के यहां जाते हैं तो उनके सचिव या मंत्री लोगों को अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो जानकारी हासिल करते हैं और आपका कार्यालय जैसा कि हमारा इतने साल का अनुभव

रहा है, ऐसा करता रहा है कि संबंधित मंत्री से या सदस्य से उस सवाल के संबंध में स्पष्टीकरण करता रहा है। उसके बाद अगर वह ठीक उतरता है तो नियत समय पर उत्तर मिलता रहा है।

अब आप देखें कि २२ तारीख को प्रतिबंधित सूची हमारे सामने हैं। ३७ नम्बर के सवाल के संबंध में हमसे केवल स्पष्टीकरण मांगा गया था जिसका हमने उत्तर नहीं दिया था तो वह सवाल आपकी नियमावली के अन्तर्गत अपने आप खत्म हो जाता है। लेकिन ३६ तथा ३८ के संबंध में हमसे कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया और यकायक उनको स्थगित कर दिया। २१ तारीख को आपके विश्राम कक्ष में मैंने निवेदन किया था और आपके किसी सहायक से कहा था कि ऐसा क्यों हुआ है। उसके बाद कार्यालय में जाकर कहा कि प्रतिबंधित सूची जिस पर स्पष्टीकरण मांगा गया था हमसे नहीं पूछा गया और पत्र क्यों नहीं भेजा जाता है? उन्होंने कहा कि हम जल्दी भेजते हैं। लेकिन उस दिन भी नहीं भेजा गया। कल जब वोटिंग हो रही थी तो मैंने श्री सतीशचन्द्र जी से कहा कि तुम्हारे विभाग द्वारा २२ तारीख को सूची के सवालों को स्थगित कर दिया गया और अब तक स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया। उन्होंने कहा कि मैं मेहरोत्रा साहब से कह कर भिजवाता हूं और कल ७-३० बजे के करीब स्पष्टीकरण करने का पत्र मिला। श्रीमन्, मेरा आक्षेप है आपके सचिवालय पर। आखिरकार जो नियम बना है, उस विधान या नियम के अनुरूप यदि आपका कार्यालय काम नहीं करता है तो हमारे हकों की रक्षा नहीं होती है....

श्री अध्यक्ष—

इसे मैं देखूंगा। आपने यह बात बता दी, अब मैं इसको देखूंगा और उस पर कार्यवाही करूंगा।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—

यह मेरा आप के विभाग पर एक बड़ा आक्षेप है और मैं समझता हूं कि आपके विधान सभा सचिवालय के कुछ अधिकारी और कर्मचारी सरकारी सचिवालय से मिले हुए हैं और वे उन्हीं के इशारों पर काम करते हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप इसकी इन्क्वायरी करें और संबंधित अधिकारियों को दण्ड दें नहीं तो हमारे अधिकारों का अपहरण हो रहा है।

उत्तर प्रदेश की द्वितीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति का तेरहवां तथा चौदहवां प्रतिवेदन †

श्री केशभान (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति, प्राक्कलन समिति की हैसियत से आपकी आज्ञा से सूचना विभाग से संबंधित १९५७-५८ के प्राक्कलन समिति (द्वितीय विधान सभा) के तृतीय प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वय के संबंध में सरकार द्वारा की कई कार्यवाहियों से संबंधित १९६५-६६ की प्राक्कलन समिति का तेरहवां कार्यान्वय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति, प्राक्कलन समिति की हैसियत से आपकी आज्ञा से नैनीताल में बने सरकारी आवासगृहों से संबंधित १९६०-६१ की प्राक्कलन समिति (द्वितीय विधान सभा) के अट्ठारहवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाहियों से संबद्ध १९६५-६६ की प्राक्कलन समिति का चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की नियम समिति (१९६५-६६) का प्रतिवेदन †

सभापति, नियम समिति (श्री होतीलाल अग्रवाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की नियम समिति (१९६५-६६) का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

मुद्रित प्रतियां जो हम लोगों को नहीं दी जाती हैं, उसके संबंध में मैं आपकी राय तलब करना चाहता हूं। आप जरा इस पर खयाल करें। यह छापाखाना या जो मुद्रणालय है यह १९४९-५० में खोला गया था। क्योंकि इसके पहले सन् १९४६-४७ में जो पीठासीन अध्यक्ष रहे, उन्होंने गवर्नमेंट से कहा था कि इस प्रकार से विधान सभा सचिवालय का कार्य उत्तरोत्तर बढ़ता चला जा रहा है और वर्तमान एक ही छापाखाना होने के कारण उनके सचिवालय का काम समय पर और ठीक से नहीं हो पाती है, प्रोसीडिंग समय पर नहीं छप पाती हैं और विभिन्न कमेटियों की रिपोर्टें समय पर नहीं छप पाती हैं, तो उन्होंने गवर्नमेन्ट से यह आग्रह किया कि इस कमी को दूर करने के लिये एक ऐसा प्रथक छापाखाना खोला जाय, जिसका कन्ट्रोल विधान सभा सचिवालय के हाथ में हो। इस पर ऐशबाग का छापाखाना खोला गया था और वह आपके नियंत्रण में रहेगा और वहां पर विधान सभा सचिवालय के कार्य को विशेष रूप से प्राथमिकता दी जायगी। यह आज कोई नई बात नहीं है। हमारा अब यह पक्का विश्वास हो गया है कि सरकार ऐशबाग के छापाखाने पर भी उसी प्रकार आधिपत्य जमाये हुए है जिस प्रकार इलाहाबाद के छापेखाने पर है। विधान सभा की जो विभिन्न कमेटियां हैं उनकी रिपोर्टें समय पर और शीघ्र आनी चाहिए। श्रीमन्, ऐसा नियम है कि विधान सभा की जो कार्यवाही हो, वह अधिक से अधिक ६ हफ्ते में छपकर आ जाए, लन्दन में तो तीसरे दिन ही आ जाती है, अन्य प्रदेशों में भी अधिक से अधिक एक हफ्ता लगता है। तो सरकार ने जब यह आश्वासन दिया था कि ऐशबाग का छापाखाना विधान सभा सचिवालय के कन्ट्रोल में रहेगा तो क्या कारण है कि वहां की जितनी रिपोर्टें और कार्यवाहियां हैं, वे ठीक समय पर नहीं छपती हैं और इससे सदन का कार्य भी सुचारु रूप से चलना रुक जाता है। इसलिये मैं आपसे चाहता हूं कि आप सरकार से आग्रह करें और उन्हें मजबूर करें कि वह आपके कन्ट्रोल में रहे और जो कार्य यहां से जाए, उसको प्राथमिकता दी जाय। इस तरह का आप काम कीजिये और आप उससे छापाखाना छीन लें।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस संदर्भ में निवेदन करना चाहता हूं। अभी जो प्रश्न माननीय पाण्डेय जी ने उठाया वह महत्वपूर्ण होते हुए भी जिस तरह से उठाया गया है उससे किसी का लाभ होने वाला नहीं है। तरीका यह है कि लिखित रूप से आप मेरे पास भेजिये ताकि उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्यवाही हो सके, तो अधिक सुविधा होगी। वरना सदन में यह प्रश्न उठाया जाता है और मैं कह देता हूं कि देखूंगा। फिर उस संबंध में न आप कुछ करते हैं और न मैं ही कुछ कर पाता हूं। तो अगर आप कोई प्रश्न उठाते हैं लिखित रूप में, नियम ४४ या नियम ३०१ का पालन कीजिये। जो भी तरीका ठीक हो, लेकिन यहां बीच में खड़े होकर एक बात कह देने से कोई लाभ नहीं होगा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

व्यवस्था का प्रश्न है। आपने व्यवस्था दी कि सदन में जो प्रश्न उठाते हैं उसके बारे में न आप कुछ करते हैं और न हम कुछ करते हैं। अगर यह है तो सदन की पूरी कार्यवाही बेकार हो जायगी।

श्री अध्यक्ष—

नहीं। जो प्रश्न हमारे सामने नहीं है उस संबंध में एक बात उठा दी जाती है। प्रकीर्ण बातों के ऊपर यहां कोई कार्यवाही नहीं हो पाती। मैं चाहता हूं कि कार्यवाही इस प्रकार हो जो प्रयोजनात्मक हो, सार्थक हो और जिसको हम व्यवहृत कर सकें जिसमें मुझे सहायता मिले और जिसके ऊपर दबाव डालना चाहिये उसके ऊपर उचित दबाव डाला जा सके।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

अध्यक्ष जी, जब आप कह देते हैं सदन में कि आप देखेंगे तो फिर हमारे लिये जरूरत नहीं रह जाती कि आपको हम उसको लिखित याद दिलायें। वह एक प्रकार का आश्वासन हो जाता है।

श्री अध्यक्ष—

उससे काम में सुविधा होगी। इस आश्वासन समिति कैसे देखेगी ?

स्थानीय निकायों से विधान परिषद् की सदस्यता के लिये होने वाले चुनावों में राजकीय सम्पत्ति एवं प्रभाव का उपयोग करने के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव यादवेन्द्रदत्त जी ने भेजा है.....

श्री यादवेन्द्र दत्त (जिला जौनपुर)—

आप मेरे कामरोको प्रस्ताव को पहले पढ़ दें तब अपना निर्णय दें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय यादवेन्द्रदत्त जी ने जो कामरोको प्रस्ताव भेजा है वह इस प्रकार है—"स्थानीय निकायों से विधान परिषद् की सदस्यता के लिये होने वाले द्विवार्षिक चुनावों में राज्य सरकार द्वारा अपने दल के प्रत्याशियों के समर्थन में खुल कर राजकीय सम्पत्ति एवं प्रभाव का उपयोग किया जा रहा है।" और उन्होंने उदाहरण के लिये यह कहा है कि "२६ मार्च को कांग्रेस संस्था, श्रीमती मोहसिना किदवई स्टेट स्टाफ कार नं० यू० एस० क्यू० ६३३९ पर बैठ कर लखनऊ से प्रतापगढ़ अपना नामांकन पत्र दाखिल करने गयीं। उक्त कार एक संसदीय सचिव ने अपने उपयोग के लिये सरकार से ली थी। संसदीय सचिव महोदय उस समय विधान सभा की कार्यवाही में भाग ले रहे थे और उनके नाम पर ली गयी स्टाफ कार का उपयोग श्रीमती किदवई अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के काम के लिये कर रही थीं।"

श्री यादवेन्द्र दत्त—

मेरी एक बात सुन लीजिये। इसमें दो मुख्य आरोप हैं। पहला तो यह है कि सरकारी स्टाफ कार जब कि मंत्रिमंडल के सदस्यों के उपयोग में है आन आफिशियल ड्यूटी तब किसी कैंडिडेट का किसी एलेक्शन के लिये नामांकन—पत्र दाखिल करने के लिये वह कार दी जाय और सरकारी उप सचिव सदन में उपस्थित हों यह अनुचित बात है। दूसरी अनुचित बात इसके अन्दर यह है कि एलेक्शन और किसी बुट विशेष के लिये सरकारी साधनों का उपयोग हो यह भी अनुचित है। मैं चाहता हूं कि इन दोनों पर सरकार की ओर से स्पष्टीकरण हो। जहां तक मेरी जानकारी है, इस घटना के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री के पास भी तार आये, एलेक्शन कमीशन के पास और अन्यान्य अधिकारियों के पास भी गये हैं। तो इसका स्पष्टीकरण हो जाय।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, यह बहुत महत्व का विषय है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, सरकार ने करोड़ों रुपया अभी इसी बजट में हमसे सरकारी कर्मचारियों की कारों के लिये लिया है। क्या वह सब कारें हम लोगों को एलेक्शन में हराने के लिये उपयोग में लाई जाने वाली हैं, इसका स्पष्टीकरण होना जरूरी है और दूसरी सबसे बड़ी महत्व की बात है मेरा कामरोको प्रस्ताव, उसे इसके बाद लीजिये।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---

एक तार आज सुबह मुझे मिला है उसमें इसका जिक्र है। उसकी जांच मैं करूंगी, लेकिन आप जानते हैं पीपुल्स रिप्रजेंटेशन ऐक्ट है, उसके अनुसार अगर गवर्नमेन्ट प्रापर्टी का उपयोग एलेक्शन में किया गया है तो एलेक्शन पेटीशन हो सकता है।

श्री उग्रसेन---

हम तो एलेक्शन पेटीशन करेंगे, लेकिन आप क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगी ?

श्री यादवेन्द्र दत्त---

माननीय मुख्य मंत्री इसकी जांच करेंगे कि जिस सभा सचिव के नाम यह कार एलाटेड है क्या उन्होंने अपनी कार का दुरुपयोग किया और क्या जांच के परिणाम से सदन को अवगत करायेंगी ?

श्री अध्यक्ष---

इस संबंध में मैं यह निवेदन करूंगा कि....

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

श्रीमन्, मैं एक बात कहना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष---

आप बैठिये। मैं आपसे इस संबंध में यह निवेदन कर रहा था कि....

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

श्रीमन्, आपकी यह व्यवस्था है कि जब माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल खड़े होंगे तो उनको आप सब से पहले मौका देंगे, लेकिन अब आप उनसे कह रहे हैं कि बैठ जाइये, बैठ जाइये।

श्री अध्यक्ष---

जब मैं बोल रहा हूं तो न नेता विरोधी दल खड़े होंगे और न नेता सदन खड़े होंगे।

मैं यह कह रहा था कि जहां तक कामरोको प्रस्ताव का संबंध है वह इस कारण से स्वीकार नहीं किया जा सकता कि अगर प्रशासन की कोई सामग्री एलेक्शन के संबंध में प्रयोग में आती है तो पिटीशन का विषय बन सकती है और यह अगर आप चाहें तो अध्यक्ष पद से दिए गये निर्णयों के १९५२ से १९६२ के संकलन में पृष्ठ ७८ पर निर्णय ४६ को देख लें। इस संबंध में यह निश्चित मत इस सदन का रहा है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

श्रीमन्, मेरा यह आपकी सेवा में निवेदन है और आप इसको स्वयं अपने विवेक से विचार कर लें कि यह रिवाइजेबिल है या नहीं कि आपने जो निर्णय दिया उसमें किस प्रकार का संशोधन होना चाहिये ? हम एक बात आपके ध्यान में लाना चाहते हैं। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि सरकारी साधन का चुनाव में इस्तेमाल नहीं होना चाहिये, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या माननीय मुख्य मंत्री, जो प्रदेश की सबसे बड़ी सरकार की अधिकारी हैं, उनको यह कहना शोभा देता है कि आप अदालत में जाइये हमारे सरकारी अधिकारी तो ऐसा ही करेंगे ? क्या यह अर्थ उनके कहने का नहीं निकलता है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

कुछ दिनों से न मालूम क्यों नेता विरोधी दल से जो मेरी सुन्दर मित्रता थी उसमें कुछ बाधा पड़ रही है। वह मेरी बातों को मिसअन्डरस्टैन्ड करते हैं। मेरी मंशा बिलकुल यह नहीं थी जैसा कि नेता विरोधी दल ने इन्टरप्रेट किया। मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि जो सरकारी साधन का उपयोग करता है उसके विरुद्ध जांच तो अवश्य करवाऊंगी और उसके उपरान्त मैंने यह कहा कि सरकारी साधन का जो भी उपयोग करता है, "he does it at his own risk" "क्योंकि इसी बात पर election petition हो सकता है। मेरी यह मंशा नहीं थी कि मैं कोई जांच नहीं करूंगी।

श्री उग्रसेन जी को भी मैं नजदीकी मित्र जानती हूं।

पंचनगरमहापालिकाओं के कर्मचारियों द्वारा अनशन किए जाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव एवं नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत जो सूचना स्वीकार की है वह इस प्रकार से है—

"उत्तर प्रदेश के लखनऊ, आगरा, वाराणसी, कानपुर एवं इलाहाबाद के ३२ हजार कर्मचारियों के लिये सरकार ने आश्वासन देकर भी वेतन आयोग की नियुक्ति नहीं की, बल्कि उल्टे ५ हजार कर्मचारियों की छटनी कर दी गई है। वर्षों के बाद भी उनकी सेवाएं स्थायी नहीं हैं और उनके सेवा की नियमावली भी नहीं बनी है। इसके विरोध में सरकार से उन लोगों ने ५० रुपये प्रति माह अन्तरिम सहायता की भी मांग की, परन्तु उन्हें नहीं दिया गया। इसके विरोध में ३२ कर्मचारी विधान भवन के सामने अनशन कर रहे हैं। इससे एक विषम परिस्थिति पैदा हो गई है।" यह कामरोको प्रस्ताव के रूप में आया था जिसको मैंने नियम ५२ में लिया है। यह माननीय शिवनाथ सिंह, माननीय उग्रसेन, माननीय काशीनाथ मिश्र, माननीय राधेश्याम शर्मा, माननीय गया प्रसाद की तरफ से आया है—और एक नियम ५२ की इसी विषय पर माननीय मुकुट बिहारी लाल जी की सूचना है तथा एक माननीय बालोजी अग्रवाल, श्री ऊदल श्री सन्त सिंह यूसुफ और श्री नेकराम शर्मा की भी है। इन तीनों को एक साथ लेकर नियम ५२ में मैंने स्वीकार किया है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

इस पर माननीय मंत्री जी कब वक्तव्य देंगे, यह तो उनसे पूछ लीजिये।

श्री अध्यक्ष—

बाद में पूछ लूंगा।

प्रदेश के उत्तर पर्वतीय पट्टी में फैले हुए विदेशी गुप्तचर भेदियों के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री रक्षपाल सिंह, श्री जगन्नाथ राव, श्री टम्बेश्वर प्रसाद का नियम ५२ की सूचना को केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है—

माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी वाली सूचना इस प्रकार है—"उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग—हिमालय पर्वत की पूरी पट्टी में विदेश के गुप्तचर भेदियों का जाल काफी समय से फैला हुआ है जिसे नियंत्रित करने में सरकार पूर्णतया असफल रही है। पौड़ी जिले के लक्ष्मण झूला थाने में बने कैलाशानन्द आश्रम के मठाधीश जो कि भेदियों के एक गिरोह के नेता हैं, पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिये गये हैं। आश्रम में एक काफी शक्तिशाली वायरलेस यंत्र मिला है जिससे कि

संदेश भेजने और लेने दोनों का ही काम लिया जा सकता है। इसी प्रकार से अनेकों आश्रम तथा अड्डे हिमांचल के सीमावर्ती क्षेत्र में फैले हुए हैं जिनके द्वारा जासूसी का काम होता है। कुछ दिन पूर्व हिमांचल के प्रतिबन्धित क्षेत्र में एक जर्मन अधिकारी वायरलेस ट्रांसमीटर सहित पकड़े गये थे। यह केन्द्र काफी अरसे से विदेशों को सूचनायें देने का कार्य कर रहा था। मेरी सूचना है कि इस क्षेत्र में भेदिए काफी सक्रिय हैं, परन्तु सरकार की ढिलाई से उन्हें पकड़ा नहीं जा सका है। यह क्षेत्र विदेश से लगा होने के कारण आन्तरिक सुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त महत्व-पूर्ण है।

इस घटना से सरकार के प्रति उत्तेजना एवं अविश्वास की भावना फैल रही है।

अस्तु लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।"

बस्ती शुगर मिल के श्रमिकों द्वारा अनशन के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय नरसिंह नारायण पान्डेय, माननीय दुर्योधन प्रसाद, माननीय शिब्बन लाल सक्सेना और माननीय बांकेलाल की एक नियम ५२ की सूचना को भी केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है। जो इस प्रकार है—

"बस्ती मिल के बस्ती शुगर मिल कं० लि० के श्रमिक २१-३-६६ के मिल के फाटक पर आमरण अनशन कर रहे हैं तथा सामूहिक अनशन भी मजदूरों ने कर रखा है। उनकी मांग है कि ११ नवम्बर, सन् १९६० का सुप्रीम कोर्ट का फैसला १९४८ व ४९ के बोनस के लिये जो हुआ है उसको तत्काल कार्यान्वित किया जाय जिससे श्रमिकों को अपना बोनस मिल सके। इस संबंध में मजदूर यूनियन के कई पत्र तथा तार आदि श्रमायुक्त स्थानीय संराधन अधिकारी, श्रम मंत्री, आदि के पास भेजा जा चुका है परन्तु अभी तक इस संबंध में कोई समझौता या प्रयास आदि नहीं हुआ।

अतः स्थिति गम्भीर होती चली जा रही है और मजदूरों में श्रम विभाग तथा मिल मालिकान के रवैये के प्रति क्षोभ बढ़ता जा रहा है जिससे चिन्तनीय स्थिति व्याप्त है। जो तार आया है उसकी मूल प्रति संलग्न है।"

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

बस्ती मिल के मजदूरों का तार हमारे पास आया है। इसको नियम ५२ में ले लिया जाय, आज नहीं तो कल सही।

पंचनगर महापालिकाओं के कर्मचारियों द्वारा अनशन किये जाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव एवं नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

तो लखनऊ, आगरा, वाराणसी, कानपुर एवं इलाहाबाद के ३२ हजार कर्मचारियों के संबंध में श्रम मंत्री जी कब वक्तव्य देंगे?

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

११ अप्रैल को।

बस्ती शुगर मिल के श्रमिकों द्वारा अनशन के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना—(क्रमागत)

श्री उग्रसेन—

कितने मजदूर भूखों मर रहे हैं और कई विधान भवन के सामने अनशन भी कर रहे हैं, उनके लिये तो कुछ कीजिये। ११ तारीख तक तो बहुत से लोग मर जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

कृपा करके आप बैठ जायं ।

प्रदेश की उत्तरी पर्वतीय पट्टी में फैले हुए विदेशी गुप्तचर भेदियों के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

गुप्तचर भेदियों और भडाधीश महोदय के संबंध में जो शिकायत है उस पर कब वक्तव्य होगा ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

१२ अप्रैल को ।

श्री अध्यक्ष—

श्री नरसिंह नारायण पान्डेय वाले पर कब वक्तव्य देंगे ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री वंशीधर पान्डेय)—

११ अप्रैल को ।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, वक्तव्य के लिये जो आपने स्वीकार किया है उसमें इतना और जोड़ दिया जाय कि वेस्ट जर्मनी का जो जासूस पकड़ा गया है उसके संबंध में भी माननीया मुख्य मंत्री जी पूरा प्रकाश डालें ।

श्री अध्यक्ष—

वह पूरा है ।

कतिपय विषयों के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि आपने जो मेरा प्रश्न नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकार किया है, इस सम्बन्ध में मैं आपको बतला दूं कि वहां मजदूरों का सामूहिक अनशन भी चल रहा है और वहां के मिल मालिकान ने १९४८–४९ के बोनस के सम्बन्ध में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ था उसी को कार्यान्वित किया है । मैं सरकार से केवल यह चाहता हूं कि उसको कार्यान्वित करने के लिये कार्यवाही की जाय और अब तक उसका कार्यान्वयन क्यों नहीं हुआ इसकी जांच पडताल करके वहां के मामले को तय करने की सरकार कृपा करे ।

श्री टम्बेश्वरसाद (जिला शाहपुर)—

श्रीमन्, मिर्जापुर की हड़ताल के सम्बन्ध में माननीय श्रम मंत्री का वक्तव्य ३० तारीख को होना था । मुझे मालूम हुआ है कि कल से असेम्बली बन्द होने जा रही है, तो माननीय मुख्य मंत्री सदन को स्पष्ट बतला दें ताकि स्थिति साफ हो जाय क्योंकि इसके बाद तो ११ अप्रैल को ही असेम्बली बैठेगी ।

मिर्जापुर, वाराणसी तथा जौनपुर जिलों में कालीन उद्योग के श्रमिक द्वारा की गई हड़ताल के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री वंशीधर पांडेय)—

कालीन उद्योग मुख्यतः जौनपुर, मिरजापुर, वाराणसी और इलाहाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है । कालीन उद्योग मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ के अन्तर्गत वाराणसी क्षेत्र के श्रमिकों ने अपनी मांगों को लेकर १४ फरवरी, १९६६ का हड़ताल नोटिस के अनुसार १५ मार्च, १९६६ से हड़ताल प्रारम्भ कर दी है । इसके साथ-ही-साथ कालीन मजदूर बुनकर पंचायत,

भदोही, वाराणसी के अन्तर्गत श्रमिकों ने अपनी मांगों को लेकर १ मार्च, १९६६ की हड़ताल नोटिस के अनुसार २१ मार्च, १९६६ से हड़ताल आरम्भ कर दी ।

कालीन उद्योग मजदूर संघ और कालीन मजदूर पंचायत की मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं :

(१) कालीन बुनकरों और दूसरे मजदूरों की मजदूरी तिगुनी कर दी जाय ।

(२) बोनस अधिनियम के अन्तर्गत बोनस दिया जाय ।

(३) कर्मचारी भविष्य निधि योजना लागू की जाय ।

(४) कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू की जाय ।

(५) कारखाना कानून प्रभावी ढंग से लागू किया जाय ।

(६) प्रत्येक बुनकर एवं मजदूर को मजदूरी की पर्ची वेतन मिलने से २४ घंटे पहले दे दी जायं ।

न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत गठित न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति ने एक उप-समिति का गठन किया है जो कालीन उद्योग में लगे श्रमिकों के वेतन के पुनरीक्षण पर विचार कर रही है, जिसकी रिपोर्ट सलाहकार समिति की १२ अप्रैल, १९६६ की बैठक में रक्खी जायगी और वह शासन को अपनी सिफारिशें भेजेगी । तत्पश्चात् शासन द्वारा न्यूनतम वेतन के निर्धारण के विषय पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

जहां तक कालीन उद्योग में पेमेंट आफ बोनस ऐक्ट के लागू होने का प्रश्न है, यह उल्लेखनीय है कि यह मांग मुख्यतः कालीन बुनकरों के सम्बन्ध में की गई हैं जो कि "आउट वर्कर्स" हैं, और जिन पर यह ऐक्ट लागू नहीं होता ।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना और कर्मचारी राज्य बीमा योजना की देखरेख केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है और उक्त दोनों योजनायें उद्योग एवं क्षेत्र के अनुसार लागू की जाती हैं । कर्मचारी भविष्य निधि योजना कालीन उद्योग में लागू नहीं है और कर्मचारी राज्य बीमा योजना अभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू नहीं की गई है जहां पर यह उद्योग अधिकतर फैला हुआ है ।

कारखाना कानून प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये सरकार सर्वदा ही प्रयत्नशील रही है और दोषी पाये जाने वाले कारखानों को उचित दंड भी दिया जा रहा है ।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि कालीन उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में फैला हुआ है । अतः सभी बुनकरों एवं मजदूरों को मजदूरी की पर्ची सेवा योजकों द्वारा उचित समय पर दे देना संभव नहीं हो पाता । परन्तु कम वेतन देने की शिकायत होने पर न्यूनतम वेतन अधिनियम की धारा २०(२) के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाती है ।

श्रम विभाग सेवा योजकों और श्रमिकों के मध्य आपसी समझौता करा के हड़ताल समाप्त कराने का प्रयास कर रहा है । इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि सेवा योजक १५ प्रतिशत तक अन्तरिम वेतन वृद्धि देने को तैयार है परन्तु श्रमिकों के प्रतिनिधि २० प्रतिशत की अन्तरिम वृद्धि की मांग कर रहे हैं । श्रम विभाग के निरन्तर प्रयास के फलस्वरूप कालीन मजदूर बुनकर पंचायत के प्रतिनिधि १५ प्रतिशत वेतन वृद्धि पर भी हड़ताल समाप्त करने के लिये सहमत हो गये हैं । परन्तु कालीन उद्योग मजदूर संघ के मुख्य प्रतिनिधि उपस्थित न होने के कारण इस यूनियन ने अपना कोई निर्णय नहीं लिया है । प्रादेशिक सहायक श्रम आयुक्त, इलाहाबाद द्वारा सेवा योजकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों से बातचीत करके आपसी समझौता कराने का प्रयास जारी है और आशा की जाती है कि हड़ताल शीघ्र ही समाप्त हो जायेगी ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस समय उनका वेतन क्या है और २० प्रतिशत बढ़ोतरी देने के बाद वह वेतन क्या होगा ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जो मिनिमम वेजेज ऐक्ट के अन्तर्गत १९५९ में वेतन था वह ६० से लागू हो गया और उसमें १ रुपया २० पैसा रखा गया था और कुछ के लिये एक रुपया ४० नया पैसा है।

श्री यादवेन्द्र दत्त (जिला जौनपुर)—

जैसा मंत्री जी ने बतलाया कि चूंकि यह ग्रामोद्योग है इसलिये आपका जो लेबर ऐक्ट है उसके प्रावीजन इस पर लागू नहीं हो पा रहे हैं और यह भी स्पष्ट है कि उनकी जो सबसे कठिन समस्या है उसमें एक लैकूना है कि इतने दिन तक लेबर काम करे तभी कन्फर्म हो सकता है, उसके पहले नहीं और उसके पहले ही वह उसे नोटिस देकर हटा देते हैं। तो इसको हल करने के लिये क्या सरकार विचार करेगी कि इस ऐक्ट को बढ़ाकर देहात के मजदूरों पर भी लगाया जाय और इस लैकूना को बंद किया जाय ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इस उद्योग के बारे में काफी भ्रम है। इस सम्बन्ध में लोग कहते हैं कि फैक्टरी नियम इस पर लागू हो। पावर से १० और बिना पावर के २० का रूल है। लेकिन यह मजदूर देहात में हैं और ये जो सेवा योजक हैं ये लूम ओनर को देते हैं। कालीन मजदूर लूम ओनर से लेता है। लूम ओनर अपनी ओर से बुनकरों को नियुक्ति करके उनसे बुनवाता है। तो यह लागू करना कि वह वर्कर हैं और मिल की तरह से ट्रीट किये जाय, यह उसमें लागू नहीं होता।

श्री टम्बोश्वरप्रसाद—

बुनकरों ने जो आपके सामने कर्मचारी भविष्य निधि की योजना रखी है इसमें सरकार को उसकी लागत, उसको लागू करने में क्या असुविधा है, जब कि उनके वेतन की पे-स्लिप बनती है, पर्ची बनती है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

भविष्य निधि की योजना केन्द्रीय सरकार ही लागू करती है। वह लागू कर दे, तो हमें क्या एतराज है।

श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

मिनिमम वेजेज ऐक्ट के सेक्शन ३(बी) के मुताबिक जब मिनिमम वेजेज कहीं तय हो जायं तो उसका वेरिफिकेशन ५ साल में फिर हो जाना चाहिये। कालीन उद्योग में मिनिमम वेजेज सन् १९६० में अप्रैल में निश्चित हुये और अप्रैल, १९६५ तक उसके मुताबिक वेरिफिकेशन होना चाहिये था, तो क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि उसकी वेरिफिकेशन विदिन टाइम क्यों नहीं कराया ?

श्री बंशीधर पांडेय—

सन् ६४ में ही इस पर विचार प्रारम्भ कर दिया गया था। शायद २८ दिसम्बर, १९६४ को ही और फरवरी में उसकी मीटिंग फिर बैठी और तय हुआ कि मामूली रिवीजन करके ही रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाय। मीटिंग बैठी जिसमें वर्कर्स के और एम्पलायर्स के रिप्रेजेन्टेटिव थे और डिप्टी लेबर कमिश्नर थे और उसकी रिपोर्ट १२ अप्रैल को ऐडवाइजरी बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत कर दी गयी। फिर वहां विचार होगा, फिर हम विचार करेंगे।

श्री गयाप्रसाद—

उसमें समद साहब शामिल नहीं हुए और यह बता दिया गया था कि वह उसमें बैठेंगे भी नहीं, तो क्या यह नहीं हो सकता कि २ वर्ष तक जो कमेटी नहीं बैठी तो उसको बदल कर दूसरी कमेटी बनायी जाती और विदिन टाइम वेरिफिकेशन हो जाय ?

श्री बंशीधर पांडेय—

कोई बैठे या न बैठे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो अब एडवाइजरी बोर्ड के सामने मामला आ गया है और १२ तारीख को फैसला होगा।

श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

अगर इन पर फैक्टरी ऐक्ट लागू नहीं होता तो शाप ऐक्ट तो जरूर लागू होता है। क्या आप शाप ऐक्ट को लागू कर रहे हैं और उसके अनुसार सुविधायें उनको मिल रही है या नहीं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह लागू नहीं होता। यह तो वह वर्कर है जो देहातों में फैले हुये हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या इस बात को देखते हुये कि इन छोटे मोटे उद्योग धंधों जिनमें कालीन मजदूर काम कर रहे हैं अगर उन पर शाप्स एड कामर्शियल ऐक्ट लागू नहीं होता तो मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू होता है, मंत्री जी इंडस्ट्रियल नैशनलाइजेशन का बिल लाने वाले हैं, उसमें यह तय करेंगे कि ग्रामोद्योग और ऐसे छोटे उद्योगों में काम करने वालों को सुरक्षा और संरक्षण मिलेगा सरकार की ओर से ?

श्री बंशीधर पांडेय—

माननीय सदस्य को विदित होना चाहिये कि मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

गांवों में तितर-बितर काम करने वाले बुनकर लोग हैं। क्या सरकार उनको पंजीकृत कराकर उनको मिनिमम वेजेज ऐक्ट के अनुसार वेजेज दिलवाने की कृपा करेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

मिनिमम वेजेज ऐक्ट के अन्तर्गत उनको पूरी सुविधायें हैं।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

कालीन उद्योग में दो प्रकार के आदमी काम करते हैं। एक तो देहात में अपना यह काम करते हैं, दूसरे किसी फैक्टरी में काम करते हैं। तो जो फैक्टरी में काम करने वाले हैं उनके लिये भी क्या सरकार श्रम कानून को लागू करेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि वह कोई पावर फैक्टरी नहीं होती। यह लोग तो गांव में फैले रहते हैं, वहां यह अपना पार्टटाइम्स काम करते हैं, इसके अलावा अपना और काम करते हैं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

सन् १९६० में कमेटी ने वेतन तथा मंहगायी भत्ते की जो सिफारिश की थी वह अभी तक नहीं मिल रहा है। तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि जिन लोगों ने २० प्रतिशत बढ़ाने का फैसला कर लिया था वह भी अभी बढ़ाया नहीं है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

मान्यवर, दो यूनियन बनी हुई हैं। एक एस०एस०पी० के कंट्रोल में है और दूसरी जनसंघ के। एस० एस० पी० की यूनियन वालों ने तो १५ प्रतिशत को मान लिया है, दूसरी यूनियन ५० प्रतिशत चाहती है, अभी उसमें झगड़ा चल रहा है। (व्यवधान)।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि देहात में जो बुनकर हैं उनसे १५ प्रतिशत का समझौता हो गया है और मालिकान ने यह भी कहा है कि जहां २० प्रतिशत हम दे रहे हैं वहां २० प्रतिशत देते रहेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय—

कुछ लोग वह दे रहे हैं और उसी को लेकर तो यह तय हुआ है कि ओवर आल सब लोग यह देना शुरू कर दें।

श्री रामेश्वरप्रसाद—

इस बात को देखते हुये कि महंगायी का स्तर बढ़ रहा है, क्या सरकार सेवा योजकों को इस बात के लिये जोर देगी कि वे कम-से-कम २० प्रतिशत वेतन बढ़ा कर दें ?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, यह तो मैंने पहले ही निवेदन किया कि यह तो एडवाइजरी बोर्ड १२ अप्रैल से बैठ रहा है और यह सब चीजें उसके विचार में होंगी। उसके बाद जो संस्तुति सरकार के पास आयेगी उस पर विचार करेंगे।

श्री उग्रसेन—

क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट बतायेंगे कि उन बड़ी फैक्टरियों में जिन में २० प्रतिशत अन्तरिम वेतन बढ़ा दिया था, वह नहीं दे रहे हैं। इसलिये वहां पर हड़ताल जारी है और अब यह कह रहे हैं कि १५ फीसदी पर समझौता हो गया है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

मान्यवर, हड़ताल तो समाप्त हो गई है केवल एक कम्पनी को छोड़कर। वही कम्पनी १० प्रतिशत देती थी।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, दो सवाल हैं। पहला तो यह है कि आठ जगहों पर तो बीस प्रतिशत पर समझौता हो चुका है जिसको श्रम विभाग ने मान लिया है। दूसरी बात यह है कि १५ फीसदी पर जो समझौता हो रहा था वह नहीं हो पाया किसी वजह से। तो क्या माननीय मंत्री जी उन आठ जगहों पर जिनमें २० प्रतिशत पर समझौता हुआ है और ७५ हजार के करीब जिनमें मजदूर लगे हैं और हड़ताल जारी है, उसको खत्म करने के लिये वह समझौता लागू करने की कृपा करेंगी ताकि हड़ताल खत्म हो जाय ? और पांच करोड़ का जो विदेशी मुद्रा मिलती है वह भी बचाई जा सके ?

श्री बंशीधर पांडेय—

मैंने पहले ही निवेदन किया कि २० प्रतिशत जो आप कह रहे हैं यह मामला १२ अप्रैल को तय होगा। इस में जो दे रहे थे वे दे रहे हैं। और देने की बात करते हैं। पर इनकी मांग यह है कि जो १० फी सदी देते थे वे दस के अलावा दें और जो नहीं देते थे वे १५ फी सदी दें।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

माननीय मंत्री जी, ने उत्तर में लिखा है कि एक प्रतिनिधि के उपस्थित न होने के कारण वार्ता में गतिरोध हुआ। मैं यह समझता हूं कि कुछ लोग देते थे। और क्या सरकार इस बात के लिये पुनः प्रयत्न करेगी कि उस २० प्रतिशत के आश्वासन के साथ जो सेवायोजक हैं, उस यूनियन के उनसे भी वार्ता करने का प्रयास करेगी ?

श्री बशीधर पांडेय—

श्रीमन्, अब तो हड़ताल समाप्त हो गई है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, यह स्वयं कहते हैं कि हड़ताल समाप्त नहीं हुई है और जो फैक्टरियों के मिल मालिक हैं उन्होंने इसलिये बन्द किया है। आप असुविधा समझ सकते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि कितना नुकसान हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

नुकसान तो हो ही रहा है।

फिरोजाबाद में कांच कुटीर उद्योग पर नये बिक्री-कर लगने के विरोध में हुई हड़ताल के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

१ फरवरी, १९६६ से पूर्व कांच की चूड़ियों पर ७ प्रतिशत एक-पदीय की दर से बिक्री-कर लगता रहा। यह कर चूड़ियों के निर्माता अथवा आयात कर्ता द्वारा की जाने वाली बिक्री पर ही लगता था। इस प्रकार प्रदेश के अन्दर निर्मित होने वाली चूड़ियों पर बिक्री-कर देने का दायित्व केवल ऐसे कारखानेदारों पर था जो सादी कांच की चूड़ियां बनाते थे। सादी कांच की चूड़ियां खरीद कर और उनको अलंकृत करके बेचने वाले व्यापारी पर बिक्री-कर नहीं लगता था। इस प्रकार सरकार को केवल सादी कांच की चूड़ियों पर ही बिक्री-कर प्राप्त होता था जिनकी कीमत अलंकृत कांच की चूड़ियों के लगभग एक-तिहाई होती है। इसके अतिरिक्त दूसरे प्रदेशों के व्यापारियों को बेची जाने वाली कांच की चूड़ियों की बिक्री पर कर की हानि भी होती थी। अन्तर्राज्य व्यापार के दौरान में रजिस्टर्ड व्यापारी को की गई अलंकृत कांच की चूड़ियों की बिक्री पर २ प्रतिशत की दर से बिक्री-कर देय है। परन्तु बिक्री-कर न देना पड़े इसलिये दूसरे प्रदेश के अधिकतर व्यापारी या तो स्वयं उत्तर प्रदेश में आकर चूड़ियां खरीदते थे और प्रदेश के बाहर ले जाते थे अथवा उनके एजेन्ट यहां से चूड़ियां खरीद कर प्रदेश के बाहर भेज देते थे। इस प्रकार दूसरे प्रदेश के व्यापारियों को अलंकृत कांच की चूड़ियों की बिक्री प्रदेश के भीतर ही समाप्त हो जाती थी और उस पर न तो अन्तर्राज्यीय बिक्री-कर ही देय होता था और न राज्यीय-बिक्री कर ही लग पाता था क्योंकि राज्यीय बिक्री-कर सादी कांच की चूड़ियों की बिक्री के स्तर पर लग गया होता था। इस प्रकार अलंकृत कांच की चूड़ियां दूसरे प्रदेश के व्यापारियों के बेचे जाने पर कोई बिक्री-कर नहीं लग पाता था।

२—उपरोक्त तथ्यों पर उत्तर प्रदेश बिक्री-कर समिति ने विचार करके अपने प्रत्यावेदन में यह सिफारिश की थी कि सादी कांच की चूड़ियों पर तथा अलंकृत कांच की चूड़ियों पर पृथक पृथक ५ प्रतिशत की दर से एक पदीय-कर लगा दिया जाय। इसी बीच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक मामले में दिया गया निर्णय भी सरकार के सामने आया। उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया था कि ऐसी वस्तुओं की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम के अन्तर्गत बिक्री-कर देय न होगा जिन पर राज्य बिक्री-कर अधिनियम के अन्तर्गत एक पदीय बिक्री-कर देय हो। उक्त निर्णय के फलस्वरूप अलंकृत कांच की चूड़ियों के अन्तर्राज्यीय विक्रय पर

[श्री जयराम वर्मा]

२ प्रतिशत की दर से प्राप्त होने वाले बिक्री-कर की हानि की संभावना भी सरकार के समक्ष आयी। इसको ध्यान में रखते हुये सरकार ने यह फैसला लिया कि बिक्री-कर समिति की सिफारिश इस परिवर्तन के साथ स्वीकार की जाय कि सादी और अलंकृत कांच की चूड़ियों पर अलग-अलग ७ प्रतिशत की दर से एक पदीय बिक्री-कर लगा दिया जाय। तदनुसार १ फरवरी, १९६६ से सादी और अलंकृत कांच की चूड़ियों पर अलग-अलग ७ प्रतिशत की दर से बिक्री-कर लगा दिया गया।

इसके फलस्वरूप फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियों के व्यापारियों ने शासन को अनेक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये। प्रार्थना-पत्रों पर विचार करके सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सादी कांच की चूड़ियों पर ७ प्रतिशत कर रहने दिया जाय किन्तु अलंकृत कांच की चूड़ियों पर कर की दर घटा कर ३ प्रतिशत एक पदीय कर दी जाय। पहले अन्तर्राज्यीय बिक्री पर २ प्रतिशत कर था परन्तु राज्य के अन्दर एक पदीय कर होने के कारण अलंकृत चूड़ियों की बिक्री पर कर नहीं लगता था। इसलिये व्यापारी कर बचाने के लिये अन्तर्राज्यीय बिक्री भी राज्य के अन्दर दिखाते थे। हालांकि यह सामान्य जानकारी की बात है कि ८० प्रतिशत से ज्यादा चूड़ियां राज्य के बाहर भेजी जाती हैं। जिन पर दो प्रतिशत अन्तर्राज्यीय कर जो १ जुलाई, १९६६ से बढ़कर ३ प्रतिशत होने वाला है, देय होता है। अब राज्य के अन्दर की अलंकृत चूड़ियों की बिक्री पर ३ प्रतिशत कर लगाने से ईमानदार व्यापारियों को संरक्षण मिलेगा और अन्य व्यापारियों को भी बिक्री का सही स्वरूप दिखाने की प्रेरणा मिलेगी। ऐसा करने से कर का व्यापार पर कोई अतिरिक्त भार नहीं होगा परन्तु व्यापारियों द्वारा अन्तर्राज्यीय बिक्री-कर राज्य के अन्दर दिखाने के कारण सरकार को जो राजस्व की हानि होती थी उसको रोक दिया गया है। यह परिवर्तन अप्रैल, १९६६ से लागू किया जा रहा है। फिरोजाबाद के व्यापारियों के प्रतिनिधि भी इस सम्बन्ध में सरकार से मिले थे और वे इस निर्णय से संतुष्ट हैं। फिरोजाबाद में हड़ताल भी समाप्त हो गई है।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)---

माननीय मंत्री जी ने अपने बयान में कहा है कि "अन्तर्राज्यीय बिक्री भी राज्य के अन्दर दिखाते थे"। क्या अब अन्तर्राज्यीय बिक्री पर भी राज्य के अन्दर टैक्स लगेगा? क्या दूसरे राज्य को चूड़ी जायेंगी तो टैक्स नहीं लगेगा? प्रदेश के प्रोडक्शन को दूसरे प्रदेशों में ट्रांसफर करके लोग टैक्स का पैसा न बचा पायें इसके लिये क्या मंत्री जी कोई कमेटी बैठायेंगे, जिस से टैक्स की चोरी घटे तथा छोटे और बड़े व्यापारियों पर टैक्स भार का जो अन्तर हो जाता है, वह खत्म हो जाय?

श्री जयराम वर्मा---

यह मामला इस तरह से है कि अगर बिक्री इसी सूबे के अन्दर हो जाती है तो दूसरे सूबे में वह माल भेजने पर बिक्री-कर नहीं लगता। तब दूसरे सूबों के व्यापारी ऐसा भी करते थे कि वह यहां के व्यापारियों से माल मंगा लेते थे लेकिन यहां के व्यापारी उन से मिलकर यह दिखाते थे कि बिक्री इसी सूबे में हुई है जिससे कि वह कर से बच जायं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब अलंकृत चूड़ी पर भी ३ प्रतिशत का कर लग गया है और अन्तर्राज्य बिक्री पर भी १ जुलाई, सन् १९६६ से ३ प्रतिशत ही हो जायेगा। इसलिए अब चाहे बिक्री बाहर दिखाएं या सूबे के अन्दर दिखाएं आगे कोई अन्तर नहीं पड़ेगा और अब ईमानदार और बेईमान व्यापारियों में कर-भार के बारे में कोई अन्तर नहीं रहेगा और सबको अब ईमानदारी से कर देना पड़ेगा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

अभी मन्त्री जी ने बताया कि सादी चूड़ियों पर सात प्रतिशत का कर लगेगा और अलंकृत पर तीन प्रतिशत लगेगा। तो क्या सरकार की यह नीति है कि गरीब उपभोक्ताओं पर ७ प्रतिशत कर लगे और बड़े उपभोक्ता, जो अलंकृत चूड़ियों का प्रयोग करें उन पर ३ प्रतिशत ही लगे?

श्री जयराम वर्मा—

उधर से ही तो यह मांग थी कि केवल सादी चूड़ी पर ही कर रहे और अलंकृत पर बिलकुल न रहे।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

बिलकुल गलत बात है हमारी मांग यह नहीं थी हमारी एक ही मांग थी कि किसी चूड़ी पर कर न रहे। मेरा निवेदन है कि क्या मन्त्री जी निश्चित रूप से सादी चूड़ी पर से बिक्री-कर हटाने की कृपा करेंगे?

श्री जयराम वर्मा—

ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

यह मानते हुए कि इस प्रदेश की मुख्य मन्त्री एक महिला हैं और चूड़ी एक सुहाग की निशानी होती है स्त्रियों के लिए तो क्या स्त्रियों की भावना का आदर करते हुए क्या मन्त्री जी ऐलान करेंगे कि चूड़ी पर से बिक्री-कर हटाया जायगा?

श्री अध्यक्ष—

कैबिनेट इस पर विचार करेगी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

मन्त्री जी अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि प्रतिशत ७ सादी चूड़ियों पर कर लगेगा और ३ प्रतिशत अलंकृत पर लगेगा तो क्या सब दस प्रतिशत लगेगा?

(उत्तर के लिए मन्त्री को नहीं पुकारा गया।)

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

हमारे यहां से चूड़ियां विदेशों को जा रही हैं तो फारेन एक्सचेंज का खयाल कर के इसको कर मुक्त करने की कृपा मन्त्री जी करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

आप तो लोहिया साहब के साथ रहें। चूड़ी के मामले में क्यों पड़ते हैं?

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

यह फीरोजाबाद के जो चूड़ी व्यापारी हैं उन्होंने जो प्रतिनिधित्व किया था और आपने जो नए कर की प्रणाली लागू की है उससे क्या वह प्रतिनिधि मंडल संतुष्ट हुआ? क्या उनका कहना यह था कि मध्यम वर्ग के जो चूड़ी व्यापारी हैं उन पर कुछ बुरा प्रभाव पड़ रहा है और उनका जो प्रतिनिधित्व पहले था उस की क्या मांग थी और जो सरकार ने यह अब किया है उनकी मांगों में कोई परिवर्तन हुआ है जिससे वह सन्तुष्ट हैं?

श्री जयराम वर्मा—

उन की मांग यह थी कि पहले जैसे सादी चूड़ी पर कर लगता था वह वैसे ही बना रहे लेकिन अलंकृत पर कोई कर न लगे और अब यह किया गया है कि सादी पर तो वही सात प्रतिशत रखा गया है और तीन प्रतिशत अलंकृत पर लगाया गया है।

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

या तो माननीय मन्त्री जी की बात मेरी समझ में नहीं आयी या वे नहीं समझ रहे हैं और या दूसरे सदस्य समझ नहीं पा रहे हैं। सादी चूड़ी की जितनी फैक्टरियां हैं उनसे व्यापारी लोग अलंकृत करने के लिए ले लेते हैं। इस प्रकार से उनसे कुल आमदनी १० लाख रुपए की होती है। अब यह ४ लाख रह जायगी। और २ लाख और मिल जायगा। आपके जो दूसरे प्रदेश हैं जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार आदि हैं। वहां पर जो ग्लास की काटेज इंडस्ट्रीज हैं वहां पर चूड़ी पर टैक्स बिलकुल माफ कर दिया है पर हमारे यहां पर यह टैक्स १० प्रतिशत कर दिया है। तो क्या मंत्री जी इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए इस टैक्स को माफ करेंगे ?

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमान् जी, चूड़ी तो हमारे प्रदेश में ही बनती हैं और यहां से ही अलंकृत होकर दूसरे प्रदेशों में जाती हैं। व्यापारी वर्ग जिनका रिप्रिजेन्टेशन था, वे भी इस बात को मानते थे कि दूसरे प्रदेशों में सादी चूड़ी आसानी से नहीं बन सकेगी।

श्री उग्रसेन—

अगर बंगाल सोने की चूड़ी बनाने लगेगा तो क्या वे उनसे राय लेने नहीं आयेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

प्रदेश की कुछ चीनी मिल क्षेत्र के खेतों में खड़े गन्ने को पेरे न जाने की व्यवस्था न होने एवं सुरक्षित स्थानों का गन्ना न क्रय करने के सम्बन्ध में वक्तव्य

विद्युत् उप मन्त्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

इस प्रदेश की कुछ चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्रों में ....

श्री अध्यक्ष—

इसकी प्रतियां तो आपने बंटवा दी हैं तो इसे पढ़ा हुआ माना जाय।

(निम्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

गन्ने की स्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत दिनांक २४ मार्च, १९६६ से २६ मार्च, १९६६ तक सदन के माननीय सदस्यों, श्री हिम्मत सिंह, श्री श्रीराम, श्री वेदराम, श्री रामसिंह शाक्य, श्री गंगा प्रसाद वर्मा, श्री राम आधार कनौजिया, श्री मंगल प्रसाद, श्री मुन्नूसिंह श्री प्रेम सिंह, श्री अब्दुल हसीब खां, श्री शुकदेव प्रसाद, श्री नाथूराम शिक्षक, श्री चन्द्रबली सिंह, श्री बांकेलाल, श्री कृष्णा राय व श्री लखी सिंह द्वारा प्रस्तुत किये गये ध्यान आकर्षण प्रस्तावों (Calling Attention Motions) के विषय में मुझे यह निवेदन करना है कि वर्तमान वर्ष में चीनी मिलों के क्षेत्र में गन्ने का क्षेत्रफल गत वर्ष (१९६४–६५) के २४.२९ लाख एकड़ से बढ़कर २५.२१ लाख एकड़ हो गया है। क्षेत्रफल की वृद्धि स्वरूप इस वर्ष गन्ने का उत्पादन गत वर्ष की अपेक्षा अधिक अनुमानित किया गया था परन्तु वर्ष के आरम्भ में मौसम प्रतिकूल रहा। अगस्त/सितम्बर, १९६५ की लम्बी अवधि तक वर्षा की भारी कमी रही फलतः गन्ने की फसल को काफी क्षति पहुंची। इस क्षति के परिणामस्वरूप यह अनुमान किया गया कि गन्ना उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि के विपरीत विशेष कमी हो जाने की ही अधिक सम्भावना है। मौसम में एक बार फिर परिवर्तन हुआ और वर्षा काल के समाप्त होते-होते एक-दो बार अच्छा पानी गिरा। यह पानी गन्ने के लिए जीवन दान सिद्ध हुआ, फिर भी प्रारम्भ की क्षति की पूर्ति नहीं हो सकी। अतः इन हालात में क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाने के कारण प्रदेश की चीनी मिल क्षेत्रों में गन्ने की कुल पैदावार गत वर्ष के बराबर ही रहने की सम्भावना है।

२—चीनी मिलों पर गन्ने की पेराई आरम्भ करने के लिए सरकार द्वारा कोई प्रतिबन्ध नहीं है। गत वर्षों में जब कि अधिक गन्ने की खपत करने एवं चीनी का अधिक उत्पादन करने की आवश्यकता पड़ी थी तो भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार ने एक्साइज ड्यूटी एवं क्रय-कर में उपयुक्त छूट देकर मिलों को जल्दी चालू करने के लिए प्रोत्साहन दिया था। ऐसी छूट सीजन १९५६–५७, १९५९–६०, १९६०–६१, १९६३–६४ तथा १९६४–६५ में दी गई थी। इस वर्ष चीनी मिलों को शीघ्र चालू कराने के लिए इस प्रकार का कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया। अतः इस वर्ष चीनी मिलें गत वर्ष की अपेक्षा देर से चलीं। इस सीजन में ७ नवम्बर तक एक भी मिल नहीं चली जब कि गत वर्ष इस तिथि तक प्रदेश में ३७ मिलें चल चुकी थीं। इनमें से १० मिलें माह अक्तूबर, १९६४ में ही चल चुकी थीं। गत सीजन में दिनांक १५ व २२ नवम्बर तक क्रमशः ५७ व ६७ चीनी मिलें चल चुकी थीं जबकि इस सीजन में इन तिथियों तक केवल ९ व ३८ मिलें ही चलीं। वर्तमान सीजन में अधिकांश चीनी मिलें दिनांक १५ व ३० नवम्बर, १९६५ के बीच ही चली हैं। तीन मिलें (सखौती, बिजनौर व बस्ती) विशेष कठिनाइयों के कारण दिनांक ३० नवम्बर, १९६५ के पश्चात् चल सकीं।

३—यद्यपि इस सीजन में चीनी मिलें गत सीजन की अपेक्षा कुछ देर से ही चलीं तथापि दिनांक १५ मार्च, १९६६ तक एक करोड़ टन (२६.८३ करोड़ मन) गन्ना पेरा जा चुका है जब कि गत सीजन में इस तिथि तक लगभग पौने छः लाख टन (डेढ़ करोड़ मन) ही अधिक पेरा गया था। इस सीजन में मिलों द्वारा लगभग १४६ लाख टन (३९ करोड़ मन) गन्ना पेरे जाने का अनुमान किया जाता है जब कि गत सीजन में कुल १३५.३७ लाख टन (३६.२७ करोड़ मन) गन्ना पेरा गया था।

४—वर्तमान सीजन में मिल क्षेत्रों में गन्ने की कुल पैदावार लगभग उतनी ही अनुमानित की गई है जितनी कि गत सीजन में थी फिर भी मिलों को लगभग ११ लाख टन (पौने तीन करोड़ मन) गन्ना अधिक उपलब्ध हो जाने की सम्भावना है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस सीजन में गुड़ और खांडसारी के दाम गिरे रहे। अतः गन्ना उत्पादक मिलों को अधिक से अधिक गन्ने दे रहे हैं फिर भी आशा है कि चालू सीजन में चीनी मिलें अपने क्षेत्र का सम्पूर्ण गन्ना समाप्त करने के पश्चात् ही पेराई बन्द करेंगी। जिन मिलों के सुरक्षित क्षेत्रों में गन्ना अत्याधिक था उसे यथासम्भव मात्रा में निकाल कर निकटवर्ती मिलों को दिया गया है। भविष्य में भी ऐसा व्यावर्तन (Diversion) स्थिति के अनुसार करने का प्रयास किया जायगा।

५—प्रदेश की चीनी मिलों में से २ मिलों का मार्च के अन्त तक तथा ३४ मिलों का अप्रैल का भिन्न-भिन्न तिथियों को बन्द होने का अनुमान किया जाता है। लगभग २८ मिलों के मई में बन्द होने का अनुमान है। शेष सात मिलों के जून तक चलने की सम्भावना है। गत सीजन में एक मिल फरवरी १९६५ में ९ मिलें मार्च में व ३४ मिलें अप्रैल में बन्द हुई थीं। २२ मिलें मई १९६५ व ४ मिलें जून १९६५ में बन्द हुई थीं। अन्तिम मिल ५ जुलाई, १९६५ को बन्द हुई थी।

६—समस्त उपलब्ध गन्ने की खपत के लिए एवं अधिक चीनी बनाने के लिए मिलों का देर तक चलना अनिवार्य है।

७—जिन मिलों के बारे में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव किए गए हैं उनके सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है:

(क) पन्नी जी शुगर मिल, बुलन्दशहर, को पिछले वर्षों में गन्ने की कमी रही है। पिछले वर्ष यह मिल गन्ने के अभाव से १ अप्रैल, १९६५ को बन्द हो गई थी जब कि इस मिल को मुक्त क्षेत्र से भी गन्ना प्राप्त हुआ था। पिछले वर्षों की भांति इस मिल को गन्ना सुरक्षित एवं मुक्त क्षेत्रों से प्राप्त है और आशा की जाती है कि सारा

उपलब्ध गन्ना यह मिल अप्रैल के अन्त तक पेर कर बन्द हो सकेगी। पर्चियों का वितरण कलेंडर के अनुसार होता है।

(ख) धामपुर मिल की बढ़ी हुई क्षमता की पूर्ति एवं निकटवर्ती क्षेत्र के अधिक गन्ने की खपत के लिए बाहरी केन्द्रों के गन्ने का संरक्षण भी आवश्यक रहा है। पिछले वर्षों में भी इस मिल ने बाहरी क्षेत्रों का गन्ना लिया है और इस वर्ष भी नैनीताल की तराई एवं रामपुर जिले के गन्ने को भी इस मिल के लिए सुरक्षित किया गया है। यह मिल पिछले वर्ष ६ मार्च, १९६५ को ही बन्द हो गई थी। इस वर्ष यह अपने क्षेत्र के और अन्य क्षेत्रों के अधिक गन्ने की पेराई अप्रैल के अन्त/मई के प्रथम सप्ताह तक समाप्त कर बन्द होगी। निकटवर्ती मिलों के भी इसी अवधि या उसके आगे चालू रहने की सम्भावना है।

(ग) न्योली मिल गन्ने की पूर्ति के लिए पिछले कई वर्षों से एटा जिले से ही नहीं, बल्कि अलीगढ़, बदायूं, फर्रुखाबाद और नैनीताल जिले से गन्ना लेती रही है। सुरक्षण आदेश उसी आधार पर इस वर्ष भी प्रसारित किए गए। आशा है कि सभी उपलब्ध गन्ने को पेर कर यह मिल अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक बन्द होगी। पिछले वर्ष यह मिल २४ अप्रैल, १९६५ को बन्द हुई थी।

(घ) बहराइच जिले में स्थित जरवल रोड चीनी मिल के एक क्रय-केन्द्र को छोड़ कर सब केन्द्र २७ व २८ मार्च को फिर चालू हो गए हैं। बचे हुए एक केन्द्र को भी शीघ्र चालू करने की कोशिश की जा रही है। इस मिल क्षेत्र से ०.३७ लाख क्विंटल (एक लाख मन) गन्ना फतेहपुर केन्द्र से निकाल कर बाराबंकी मिल को दे दिया गया है। जरवल रोड की मिल सम्भवतः सभी उपलब्ध गन्ने को पेर कर मई के अन्त/जून के प्रथम सप्ताह तक बन्द होगी।

(ङ) गोंडा जिले में नवाबगंज, बलरामपुर, तुलसीपुर और बभनान चीनी मिलें स्थित हैं। बभनान चीनी मिल केवल गोंडा जिले से ही नहीं बल्कि बस्ती जिले से गन्ना लेती है। गोंडा जिले से बहराइच जिले में स्थित जरवल रोड मिल को भी गन्ना दिया जाता है।

नवाबगंज, बलरामपुर और तुलसीपुर चीनी मिलें दिनांक २२ मार्च १९६६ तक ३४.११ लाख क्विंटल गन्ना पेर चुकी हैं। इन मिलों के क्षेत्रों में २३.२६ लाख क्विंटल गन्ना अब भी उपलब्ध आंका जाता है। यह मिलें उपलब्ध गन्ने को पेर कर क्रमशः मई के तीसरे सप्ताह तक, मई के अन्त तक व जून के अन्त तक बन्द हो जायेंगी। तुलसीपुर मिल से कव्वापुर केन्द्र का गन्ना निकाल कर बलरामपुर मिल को दे दिया गया है। इसी प्रकार नवाबगंज मिल से मसकनवा केन्द्र और अन्य चालीस गांवों का गन्ना निकटवर्ती बभनान मिल को दिया गया है।

नवाबगंज चीनी मिल क्षेत्र में पेराई के लिए उपलब्ध गन्ने की मात्रा ६.३४ लाख क्विंटल है जिसे यह मिल मई के तीसरे सप्ताह तक पेर सकेगी। जहां तक पर्ची वितरण व्यवस्था का प्रश्न है वह कलेंडर के परते के आधार पर दी जा रही है। प्रायः सभी किसानों को एक-एक पर्ची प्राप्त हो चुकी है।

(च) देवरिया जिले में स्थित कप्तानगंज चीनी मिल को गत वर्षों की भांति ही इस वर्ष भी सिसवा और पिपराइच चीनी मिलों के क्षेत्रों का गन्ना निजी क्षेत्र के अतिरिक्त सुरक्षित किया गया है। मिल ने गत वर्षों की भांति बिहार से भी गन्ना प्राप्त किया है। दिनांक २४ मार्च, १९६६ तक मिल द्वारा १४.०३ लाख क्विंटल गन्ना पेरा जा चुका है और अब सभी क्षेत्रों से ६.४० लाख क्विंटल गन्ना

मिलने की आशा है। इस मात्रा से ०.७४ लाख क्विंटल गन्ना दूसरा मिलों को दे दिया गया है। शेष ५.६६ लाख क्विंटल गन्ने को मई के प्रथम सप्ताह तक पेर कर बन्द होगी। पिछले वर्ष यह मिल ३० अप्रैल, १९६५ को बन्द हुई थी।

८—पर्चियों का वितरण कलेंडर के परते के अनुसार किया जाता है। इस विषय तथा अन्य विषय की शिकायतें प्राप्त होने पर जांच एवं उचित कार्यवाही की जाती है।

उत्तर प्रदेश वेतन अभिनवीकरण समिति का प्रतिवेदन (१९६४–६५) पर चर्चा

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, कार्यक्रम के सम्बन्ध में मेरा एक निवेदन है कि कल यह घोषणा हुई थी कि आज कोई बिल लाया जायगा और कल को वेतन अभिनवीकरण समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा होगी। यह मेरा खयाल है कि कल मैंने सुना था ?

श्री अध्यक्ष—

सबेरे जो आपने सुना था वह शाम को परिवर्तित हो गया था।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या हाउस कल उठ रहा है ? कुछ सूचना ऐसी भी सुनने में आई है कि हाउस आज ही उठ रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में मुझे कोई सूचना नहीं है, लेकिन कल इस आदरणीय सदन के कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था कि अयोध्या में राम नवमी ३१ तारीख को लेकिन अन्यत्र वह ३० तारीख को मनायी जा रही है।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, आज के बाद हम उठ जायेंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

रोज इस सदन का प्रोग्राम बदलता है तो इसकी गरिमा और नियम कैसे चलेंगे ?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

बात तो श्रीमन्, यह सही है कि सचमुच जो सरकार एक मर्तबा निर्णय ले लेती है उस को कभी-कभी ऐबरप्टली बदल देती है, जैसे पहले यह प्रोग्राम था कि आज इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा या स्माल काज कोर्ट बिल आएगा और उसी के अनुसार हम लोग अपनी तैयारी करते हैं और आगे का कार्यक्रम बनाते हैं। लेकिन कल पता चला कि वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट पर विचार होगा। सरकार इस को स्थगित कर सकती थी और दूसरा काम ले सकती थी। मैं चाहूंगा कि ४ रोज तक इस पर बहस होनी चाहिए आज लोग तैयार भी नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं जानना चाहता हूं कि आज के सम्बन्ध में आप को क्या कहना है ?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मेरी तो श्रीमन्, राय ऐसी है कि अगर रुक भी जाय तो कोई हर्ज नहीं।

श्री राममूर्ति अंचल—

चीनी मिलों के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री का जो वक्तव्य आया है उस पर स्पष्टीकरण चाहता था।

श्री अध्यक्ष—

वह विषय समाप्त हो चुका है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, मेरी प्रार्थना है कि आज रुक जाय और अगली ११ तारीख को इस को ले लिया जाय ताकि ३–४ दिन उस पर विचार कर सकें।

तीन चार बातें हमारे सामने हैं। हमें भय है कि सरकार कहीं सदन स्थगित न कर दे। जैसे अयोध्या कमेटी रिपोर्ट, हमारे सचिवालय से सम्बन्धित रिपोर्ट है, प्रिवेलेजेज कमेटी की रिपोर्ट है। हम चाहते हैं कि आप हमारे हितों की रक्षा करें। क्योंकि प्रोग्राम बिना आपकी सहमति के बन नहीं सकता, इसलिए मैंने आप का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

श्रीमन्, आज के एजेन्डा के क्रम-संख्या १२ पर जो चीनी मिलों के सम्बन्ध में वक्तव्य है वह बहुत महत्वपूर्ण था। न तो उस वक्तव्य को पढ़ा गया और न उसके स्पष्टीकरण के लिए कोई मौका दिया। आप के नियमानुसार स्पष्टीकरण के लिए सदन को मौका मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

जहां तक नम्बर १२ का प्रश्न है, मैंने केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया था। जो भी सूचनायें केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार होती हैं उन पर स्पष्टीकरण के प्रश्न नहीं हो सकते।

मैं नेता विरोधी दल से सहमत हूं कि इतनी बड़ी रिपोर्ट पर सहसा विचार विमर्श करना सदन के सदस्यों के साथ अन्याय होगा। इस वजह से मैं उनके सुझाव को स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष —

अब हम उठते हैं और ११ तारीख को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन १ बजकर ४ मिनट पर, सोमवार, ११ अप्रैल, १९६६ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
२९ मार्च, १९६६।

नत्थी 'क'

विवरण-पत्र

(देखिए तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९३१ पर)

क्रम-संख्या	प्रार्थना-पत्रों की संख्या	प्रार्थना-पत्रों के प्राप्ति का महीना	कनेक्शन देने की अवस्था
१	१	१/६५	भावी उपभोक्ता कनेक्शन लेने को तैयार नहीं हैं।
२	१	२/६५	इस कनेक्शन को देने में रेलवे क्रासिंग पड़ती है। इस विषय को रेलवे अधिकारियों के पास भेज दिया गया है। उनकी अनुमति मिल जाने पर कनेक्शन देने की कार्यवाही की जायगी।
३	२	८/६५	१६ व्यक्तियों को कनेक्शन की आवश्यक शर्तें सूचित कर दी गई हैं परन्तु उन्होंने अभी अनुबन्ध नहीं किए हैं। अनुबन्ध हो जाने पर कनेक्शन की कार्यवाही की जायगी। बाकी ६ व्यक्तियों ने अनुबन्ध कर दिए हैं और उन्हें बिजली देने का कार्य किया जा रहा है।
४	१	११/६५	प्रार्थी ने अनुबन्ध कर दिया है और कनेक्शन देने की कार्यवाही की जा रही है।
५	४	१२/६५	इनमें से दो व्यक्तियों को आवश्यक शर्तें भेजी जा चुकी हैं और उनमें से एक व्यक्ति ने अनुबन्ध कर दिया है। उसे कनेक्शन देने के लिए कार्य जारी है। बाकी दो व्यक्तियों के आवेदन-पत्र विद्युत् भार की स्वीकृति के लिए जिलाधीश, आजमगढ़ को भेजे गए हैं। स्वीकृत हो जाने पर कनेक्शन की आवश्यक शर्तें सम्बन्धित उपभोक्ताओं को सूचित की जायंगी।
६	४	१/६६	इसमें से दो व्यक्तियों को आवश्यक शर्तें भेज दी गई हैं। एक व्यक्ति ने अनुबन्ध कर दिया है दूसरे ने अभी तक नहीं किया है। प्रथम व्यक्ति को कनेक्शन देने का कार्य किया जा रहा है। बाकी दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति के कनेक्शन की प्रौद्योगिक क्षमता का सर्वेक्षण किया जा रहा है और दूसरे व्यक्ति का आवेदन-पत्र विद्युत् भार की स्वीकृति के लिए जिलाधीश, आजमगढ़ के विचाराधीन है।

१	२	३	४
	२९	२/६६	इनमें से ११ व्यक्तियों को आवश्यक शर्तें तथा अनुबन्ध भेजे जा चुके हैं पर इनमें से किसी ने अभी अनुबन्ध नहीं किये हैं। ८ व्यक्तियों के कनेक्शन की प्रौद्योगिक क्षमता का सर्वेक्षण किया जा रहा है और १० व्यक्तियों के आवेदन-पत्र जिलाधीश, आजमगढ़ के यहां विद्युत् भार की स्वीकृति के लिए भेज दिये गये हैं।
	१७	३/६६	इसमें से ४ व्यक्तियों को कनेक्शन की आवश्यक शर्तें सूचित कर दी गई हैं। १ व्यक्ति ने अनुबन्ध कर दिया है जिसे कनेक्शन देने का कार्य शुरू है। ३ व्यक्तियों ने अभी तक अनुबन्ध नहीं किये हैं। दो व्यक्तियों के अनुमान की स्वीकृति की जा रही है और ८ व्यक्तियों की प्रौद्योगिक क्षमता का सर्वेक्षण किया जा रहा है। अवशेष ३ आवेदन-पत्र जिलाधीश, आजमगढ़ को बिजली स्वीकृत करने के लिए भेजे गए हैं, जिनके प्राप्त हो जाने पर आवश्यक अग्रिम कार्यवाही की जायगी।

पी० एस० डब्लू० पी०—ए० डी० ३४ एल० ए०—१९६६—८६२।